मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993

(क्रमांक 1 सन् 1994)

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

अध्याय 2

ग्राम सभा

3. ग्राम के सम्बन्ध में अधिसूचना
4. ग्राम की मतदाता सूची
5. ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण
   5-क. ग्राम सभा का गठन और निगमन
6. ग्राम सभा का सम्मिलन
   6-क. ग्राम सभा का विशेष सम्मिलन
   6-ख. ग्राम सभा का सचिव
   6-ग. ग्राम सभा का विनिश्चय
7. ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन
   7-क. ग्राम सभा की स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति
   7-ख. स्थायी समितियों का गठन और उनके कृत्य
   7-ग. [***]
   7-घ. समिति की शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य
   7-ड. सदस्य का हटाया जाना
   7-च. ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य
   7-छ. स्थायी समिति का सचिव
   7-छक. ग्राम सभा की दीर्घकालिक विकास योजना का तैयार किया जाना
   7-छख. ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के बिरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई
   7-ज. ग्राम सभा के विनिश्चय के विश्व समिति को अपील
   7-झ. बजट
   7-ञ. ग्राम कोष
   7-ट. लेखा तथा संपरीक्षा

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

7-ठ. सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण
7-ड. ग्राम सभा के कृत्यो के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय 3
पंचायतों की स्थापना

8. पंचायतों का गठन
9. पंचायत की अवधि
10. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना
11. पंचायतों का निगमन
12. ग्राम पंचायतों का बाडी में विभाजन
13. ग्राम पंचायत का गठन
14. मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिये अर्हता
15. एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध
16. [***]
17. सरपंच और उप-सरपंच का निर्वाचन
18. बहिर्गामी सरपंच या ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना
19. निर्वाचन की अधिसूचना
20. प्रथम सम्मेलन और पदावधि
21. सरपंच और उप-सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव
21-क. ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना
22. जनपद पंचायत की संरचना
23. खण्ड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन
24. [***]
25. जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
26. सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन
27. प्रथम सम्मिलन और पदावधि
28. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव
29. जिला पंचायत का गठन
30. जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन
31. [***]
32. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
33. सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन
33-क. लिपिकीय गलतियों या लोप का ठीक किया जाना
34. प्रथम सम्मिलन और पदावधि
35. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव
36. पंचायत का पदधारी होने के लिये निरर्हताएं
37. पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

38. रिक्तियों का भरा जाना
39. पंचायत के पदधारी का निलम्बन
40. पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना
41. एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन

अध्याय 4
निर्वाचन का संचालन

42. राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां
42-क. अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को नियुक्त करने और उनके कर्त्तव्य और कृत्यों को समनुदेशित करने की शक्ति
43. नियम बनाने की शक्ति

अध्याय 5
पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया

44. सम्मिलन की प्रक्रिया
45. पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विषयों पर पुनर्विचार

अधीनस्थ अभिकरण

46. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां
47. जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां
47-क. त्यागपत्र
47-ख. सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधिमान्यता के सम्बन्ध में विवाद
48. सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अध्याय 6
पंचायतों के कृत्य

49. ग्राम पंचायत के कृत्य
49-क. ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
50. जनपद पंचायत के कृत्य
51. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा बाना
52. जिला पंचायत के कृत्य
53. पंचायतों के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्ति

पंचायतों की शक्तियां

54. सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत् ग्राम पंचायत की शक्तियों
55. भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण
56. सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा दबता अधिक्रमण

56-क. धारा 55 तथा 56 के अधीन ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रत्यायोजन
57. मार्गो का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शीक्ति
58. बाजारों या मेलों का विनियमन
59. सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने या बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति
60. जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिक्रमण
61. समझौता करने की शक्ति

अध्याय 6 क
कॉलोनी निर्माण

61-क. परिभाषा
61-ख. कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण
61-ग. कालोनियों का विकास
61-घ अवैध कॉलोनी निर्माण के लिये दण्ड
61-ङ. अवैध सनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिये दण्ड
61-च. अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में के भू-खण्डों के अन्तरण का शून्य होना
61-छ. अवैध कॉलोनी में अन्तर्ग्रस्त भूमि का समपहरण

अध्याय 7
पंचायत की निधि और उसकी सम्पत्ति

62. राज्य सरकार कतिपय सम्पत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी
63. पंचायत से विधियों म समनुदेशन
64. पंचायत को सहायता अनुदान
65. स्थावर सम्पत्ति का अंतरण
66. पंचायत निधि
67. संविदा निष्पादित करने का ढंग
68. सहायता अनुदान देने की शक्ति

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अध्याय 8
पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखे

69. सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति
70. पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक
71. शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति
72. मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य
73. बजट तथा वार्षिक लेखे

अध्याय 9
कराधान और दावों की वसूली

74. भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति
75. खण्ड के भीतर सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क
76. जिला पंचायत राज निधि
76-क. रकम का पंचायतों के बीच संवितरण
77. अन्य कर
77-क. कर अधिरोपित करने की शक्ति
78. करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति
79. कराधान के विरूद्ध अपील
80. बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना
81. बकाया की वसूली
82. अपवंचन के लिए शास्ति
83. करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय 10
नियंत्रण

84. पंचायतों के कार्य का निरीक्षण
85. आदेशों आदि का निष्पादन, निलंबित करने की शक्ति
86. कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मों का निष्पादन काने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति
87. व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिये पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति
88. पंचायत के कार्यकलापों की जांच
89. हानि, दुरुपयोजन के लिये पंचों आदि का दायित्व
90. पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद
91. अपील और पुनरीक्षण
92. अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति
93. शक्तियों का प्रत्यायोजन
94. नियंत्रण की साधारण शक्ति

अध्याय 11
नियम और उपविधियां

95. नियम बनाने की शक्ति
96. उपविधियाँ
97. आदर्श (मॉडल) उपविधियां

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अध्याय 12
शास्ति

98. निरर्हित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उप-सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिये शास्ति
99. हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिये जाने के लिये शास्तियों
100. किसी सदस्य, पदधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिये शास्ति
101. अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध
102. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध
103. सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध
104. जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिये शास्ति
105. बोली लगाने का प्रतिषेध
106. किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया

अध्याय 13
प्रकीर्ण

107. सदभावपूर्वक किये गये कार्यो का परित्राण
108. सूचना के अभाव में वाद का वर्जन
109. सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत या ग्राम सभा के खर्च पर किया जाएगा
110. कर आदि के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही का वर्जन
111. पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे
112. रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होगे
113. भूमि का अर्जन
114. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी करेगी।
115. पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति
116. वसूल न की जा सकने वाली धनराशियों तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना
117. सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध
118. पंचायत या ग्राम सभा के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा
119. दस्तावेज आदि तामील करने की पद्धति
120. अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवेश आदि
121. निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन
122. निर्वाचन याचिका
123. ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इंकार करें
124. स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर पंचायत या ग्राम सभा संकर्मो का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी
125. ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, समामेलन तथा परिवर्तन
126. ग्राम का विस्थापन (डिसइस्टैब्लिशमेंट)

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

127. खण्ड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन
128. सरकारी भूमियों का प्रबंध

अध्याय 14
संपरीक्षा

129. पंचायतों की संपरीक्षा

अध्याय 14 - क
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध

129-क. परिभाषाएँ
129-ख. ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन
129-ग. ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य
129-घ. ग्राम पंचायत के कृत्य
129-ड. स्थानों का आरक्षण
129-च. जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ

अध्याय 15
निरसन

130. निरसन तथा व्यावृत्ति
131. विद्‌यमान स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यावृत्तियां
132. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

- अनुसूची - 1
- अनुसूची - 2
- अनुसूची - 3
- अनुसूची - 4

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993

(क्रमांक 1 सन् 1994)

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है:

परन्तु इसका विस्तार उन अपवादों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14-क में उपबन्धित किये गये हैं, अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त[3] होगा।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(एक) “खंड” से अभिप्रेत है किसी जिले का ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन खंड घोषित करे;

(एक-क) **"ग्राम सभा का समिति"** से अभिप्रेत है, ग्राम सभा के सदस्यों की स्थायी सामिति, तदर्थ समिति या कोई अन्य समिति

MAP IT (MP Code)

(दो) **"सहकारी सोसायटी"** का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) में दिया गया है;

(दो-क) **"विकास आयुक्त"** का वही अर्थ होगा जो स्पेशल इकानामिक जोन्स एक्ट, 2005 (2005 का सं. 28) की धारा 2 के खण्ड (छ) में उसके लिए समनुदेशित है;)

www.code.mp.gov.in

(तीन) **"जिला"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिले के रूप में अधिसूचित कोई जिला, और इसके अन्तर्गत इस प्रकार अधिसूचित एक या अधिक राजस्व जिले आते हैं;)

(चार) **"निर्वाचन"** से अभिप्रेत है पंचायत के स्थान या स्थानो को भरने के लिए निर्वाचन और उसके अन्तर्गत है ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन;

(पांच) **"निर्वाचन कार्यवाहियां"** से अभिप्रेत है निर्वाचन के लिए सूचना जारी होने से प्रारभ होने वाली और ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित किये जाने के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाहियां;)

(छः) **"कारखाना"** का वही अर्थ होगा जो उसे कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 63) में दिया गया है;

(सात) **"ग्राम पंचायत"** से अभिप्रेत है धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई ग्राम पंचायत;

(आठ) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी राजस्व ग्राम या वन ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीक्य व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय;)

(नौ) **"जनपद पंचायत"** से अभिप्रेत है धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित जनपद पंचायत;

(दस) **"स्थानीय प्राधिकारी"** का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) मे दिया गया है;

(ग्यारह) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच, किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य;

(बारह) **"घृणोत्प'दक पदार्थ"** के अन्तर्गत है पशुओं के शव, गोबर, कचरा, मलमूत्रादि या सड़े हुए पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी;

(तेरह) **"पदधारी"** से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच, सरपंच या उपसरपंच, किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;

(चौदह) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रवर्ग;

(पन्द्रह) **"स्वामी"** जब उसका प्रयोग किसी भूमि या भवन के प्रति निर्देश से किया गया है, के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जो उस भूमि, या भवन का या उस भूमि या भवन के किसी भाग का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी व्यक्ति या सोसायटी के अधिका या न्यासी के रूप में अथवा प्रापक के रूप में प्राप्त कला है;

(सोलह) **"पंच"** से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का कोई पंच;

(सत्रह) **"पंचायत"** से अभिप्रेत है यथास्थिति कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत;

(अट्ठारह) **"पंचायत क्षेत्र"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र;

(उन्नीस) **"जनसंख्या'"** से अभिप्रेत है अंतिम पूर्ववती जनगणना मे अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आक्के प्रकाशित किये जा चुके हैं;

(बीस) **"अध्यक्ष"** और **"उपाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी [3](ग्राम निर्माण समिति या ग्राम विकास समिति या जनपद पंचायत) या जिला पंचायत का क्रमंश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

(इक्कीस) इस अधिनियम के किसी उपबंध में **"विहित प्राधिकरी"** से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी या प्राधिकरी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, द्वारा, उस उपबंध के अधीन विहित प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने का निदेश दे;

(बाईस) **"सार्वजनिक बाजार"** या **"सार्वजनिक मेला"** से अभिप्रेत है धारा 58 के परन्तुक के अधीन अधिसूचित यथास्थिति कोई बाजार या मेला;

(तेईस) **"सार्वजनिक स्थान"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान, भवन या संरचना जो निजी संपत्ति नहीं है और जो जनता के उपयोग के लिये खुली है चाहे ऐसे संस्थान, भवन या सरचना पंचायत मे निहित है अथवा नहीं है;

(चौबीस) **"सार्वजनिक सड़क"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सड़क, पगडंडी, मार्ग, चौक, पटरी या रास्ता जो जनता-द्वारा, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उपयोग मे लाया जाता है;

(पच्चीस) **"सरपंच"** और **"उपसरपंच"** सेअभिप्रेत है किसी ग्राम पंचायत का यथा स्थिति क्रमश: सरपंच और उपसरपंच;

(पच्चीस-क) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र;)

(पच्चीस-ख) **"स्पेशल इकानामिक जोन"** का वही अर्थ होगा जो स्पेशल इकानामिक जोन्स एक्ट 2005 (2005 का सं. 28) की धारा 2 के खण्ड (य-क) में उसके लिए समनुदेशित है;

(छब्बीस) **"स्थायी समिति"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थायी समिति;

(सत्ताईस) **"राज्य निर्वाचन आयोग"** से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243-ट (1) के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;

(अट्ठाईस) **"कर"** के अन्तर्गत है इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर उपकर रेट या फीस।

(उन्तीस) **"ग्राम"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा ग्राम जिसे राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गये ग्रामों का समूह;

स्पष्टीकरण - शब्द **"ग्राम"** में सम्मिलित है राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम।

(तीस) **"जिला पंचायत"** से अभिप्रेत है धारा 10 की उपधारा (3) के भधीन स्थापित जिला पंचायत।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अध्याय 2
ग्राम सभा

3. ग्राम के सम्बन्ध में अधिसूचना – राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा।

---

4. ग्राम की मतदाता सूची - धारा 3 अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गय नियमों के उपबंध के अनुसार तैयार की जाएगी।

5. ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण – (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जा उस ग्राम से सम्बन्धित विधान सभा निवाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगा:

परन्तु :–

क) कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगो;

ख) कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरी से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

स्पष्टीकरण – (1) अभिव्यक्ति "मामूली तौर से निवासी का अर्थ वही होगा जे उसके लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का सं. 43) की धारा 20 में दिया गया है, किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुऐ कि उसमें किया गया "निर्वाचन क्षेत्र" के प्रतिनिर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वह 'ग्राम'' के प्रति निर्देश है।

(2) कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये निरर्हित होगा, यदि वह विधान सभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने क लिए निरर्हित है।

5-क. ग्राम सभा का गठन और निगमन -- प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी । ग्राम सभा उसके लिए विनिर्दिष्ट नाम से एक निगमित निकाय होगी उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगी और उक्त नाम से उसके विरुद्ध बाद चलाया जाएगा और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसे किसी जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने, संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी।)

6. ग्राम सभा का सम्मिलन - (1) ग्राम सभा का सम्मिलन कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में होगा तथा इसके अतिरिक्त ग्राम सभा, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त सम्मिलन बुला सकेगी और जिले का कलक्टर, ऐसे सम्मिलनों के समुचित इंतजाम के लिये एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को नामनिर्देशित करेगा जो सम्मिलन की कार्यसूची (एजण्डा) का परिचालन तथा तारीख समय तथा स्थन की सूचना समय पर तामील किया जाना सुनिश्चित करेगा और सम्मिलन की कार्यवाहियों का सम्यक संचालन भी सुनिश्चित करेगा)

(2) ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश से अन्यून सदस्यों या ग्राम सभा के कम से कम पांच सौ सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, से गणपूर्ति होगा।

(3) ग्राम सभा के समिल की अध्यक्षता सरपंच द्वारा या सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा की जाएगी। उस दशा में जबकि सरपंच और उपसरपंच दोनो ही अनुपस्थित हों वहां ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे पंच द्वारा की जाएगी जो सम्मिलन मे उपस्थित सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया जाए।

(4) यदि इस सम्बन्ध मे कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मिलन मे उपस्थित होने का हकदार है, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची मे प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) ग्राम सभाओं के बीच उदण्ड कोई विवाद या ग्राम पंचायत क्षेत्र के समाविष्ट एक से अधिक ग्राम सभाओं से सम्बद्ध कोई मामले और धारा 7 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट समस्त मामले उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के संयुक्ता सम्मिलन के समक्ष लाए जाएंगे।

(6) उपधारा (5) के अधीन संयुक्त सम्मिलन मे किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय समझा जाएगा।

6-क. ग्राम सभा का विशेष सम्मिलन - यदि सरपंच या ग्राम सभा के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य या पचास सदस्य, जो भी कम हो, ग्राम सभा के विशेष सम्मिलन के लिए लिखित मे अध्यपेक्षा करते है तो सचिव ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलाएगा।

6-ख. ग्राम सभा का सचिव - ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होगा, सचिव ग्राम सभा के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे ग्राम सभा द्वारा समनुदेशित किए जाए।

6-ग. ग्राम सभा का विनिश्चय - (1) ग्राम सभा के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए समस्त मामले यथासंभव एक मत से विनिश्चित किए जाएगे जिसमें असफल रहने पर उपस्थित सदस्यों की सामान्य सहमति (जनरल कॉन्सेन्सश) विनिश्चय से किया जाएगा।

परन्तु जहां किसी ऐसे मामले पर मत विभिननता है वहां ऐसा मामला अगामी सम्मिलन के समक्ष लाया जाएगा, यदि लगातार दो स्थगित सम्मिलनों में एकमत या सामान्य सहमति (जनरल कॉन्सेन्सश) से विनिश्यच नही किया जाता है तो ऐसा मामला उपस्थित सदस्यों के बहुतम द्वारा, गुप्त मतदान से विनिश्चित किया जाएगा। तम बराबर होने के दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक तम होगा।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(2) यदि इस संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति मत देने का हकदार है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

7. ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन - (1) उन नियमो के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं, अधीन रहते हुए ग्राम सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(क) ग्राम के आर्थिक विकास तथा ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के लिए सिद्धांतों को अधिकथित करना;

(ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये ऐसी योजनाएँ जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं

का क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व अनुमोदित करना;

(ग) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिशें करना;

(घ) ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना;

(ड.) ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिये निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करना तथा प्रमाणित करना;

(च) गरीबी अन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा चयन करना;

(छ) हिताधिकारियों को निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना;

(ज) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये लोगों को गतिशील करना;

(झ) ग्राम में विकास स्कीमों की प्रसुविधाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाए रखने तथा उनके साम्यापूर्ण वितरण के लिये व्यक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना;

(ञ) जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना;

(ञ-एक) सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किये गये हैं उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना;

(ञ-दो) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों का जिनके अन्तर्गत भूमि, जल, वन आते हैं, संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबन्ध करना;

(ञ-तीन) ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग मे सलाह देना;

(ञ-चार) स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओ के स्त्रोतों और व्ययो पर नियत्रण रखना;) और स्वच्छता, सफाई और उसेन का निवारण और उसका उपशमन;

(ट) सार्वजनिक कुओं, तड़ागों और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा धरेलू उपभोग के लिए जल प्रदाय;

(ड.) नहाने तथा धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिए जल प्रदाय हेतु बल के स्त्रोतो का सन्निर्माण और अनुरक्षण;

(ढ) ग्रामीण सड़को, पुलियो, पुलो, बाधो तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य सकर्मो तथा भवनों का सन्निर्माण और अनुरक्षण;

(ण) सार्वजनिक सड़को, संडासो, नालियो, तालाबो, क्ष्यो तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उनकी सफाई;

(त) उपयोग में न लाये जाने वाले कुओं, अस्वच्छ तड़ागों, खाईयों तथा गड्ढों को भरना और सीढ़ीदार

कुओं (बावड़ियों) को स्वच्छ कुओ मे परिवर्तित करना;

(थ) ग्राम मार्गो और अन्य सार्वजनिक स्थानो पर प्रकाश की व्यवस्था करना,

(द) सार्वजनिक मार्गो तथा स्थानों और उन स्थलों में जो निजी सम्पत्ति न हों या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐझे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हो, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना;

(ध) मनोरंजनों, खेल-तमाशों, दुकानों, भोजनगृहों और पेय पदार्थो, मिठाइयो, फलों, दूध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण;

(न) मकानों, संडासों, छालयों, नालियों तथा क्कश शौचालयी के सन्निर्माण का विनियमन;

(प) सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास;

(फ) (एक) शवों, पशु-शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थो के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन;

(दो) लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन;

(ब) कचरा इकदठा करने के लिए स्थानों का पृथक् रक्षण;

(भ) मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन;

(म) ग्राम सभा की सम्पत्ति का अनुरक्षण;

(य) काजी हाऊस की स्थापना और प्रबंध और पशुओ से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना;

MAP IT (MP Code)

(कक) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के धोषित किये गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारको को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारको का अनुरक्षण और चारागाहों तथा अन्य भूमियों का बनाया रखा जाना जो ग्राम सभा में निहित या उसके नियत्रणाधीन हैं;

www.code.mp.gov.in

(खख) जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखो का रखा जाना;

(गग) जनगणना कार्य में और राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विधिपूर्वक गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकंरण द्वारा सचालित सर्वेक्षणों में सहायता करना;

(घघ) सांसर्गिक रोगों की रोकथाम मे सहायता करना;

(डड.) इनोन्क्रेशन और टीका लगाने में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिये ऐसे अन्य निवारक उपायो को जो सबंधित सरकारी विभागों द्वारा विहित किये जाएं, प्रवर्तित करने में सहायता करना;

(चच) निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना;

(छछ) युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेलकूद का अभिवर्धन क्यना;

(जज) (क) जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए;

(ख) आग की रोकथाम, आग बुझाने और ऐसे आग लगा जाने पर सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए रक्षा समिति की स्थापना करना;

(झझ) वृक्षारोपण तथा ग्रामवनों का संरक्षण;

(ञञ) दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करना;

(टट) (एक) गंभीर तथा आपाती मामलों में निर्धन व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए; या

(दो) किसी निर्धन व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अज्येष्टि करने के प्रयोजन के लिए; या

(तीन) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, उधार मंजूर करना;

(ठठ) (एक) राज्य सरकार, कलेक्टर या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो की दशा सुधारने के लिए उपायों के संबंध में और विशेषत: अस्पृश्यता निवारण के संबंध में दिये गए, या जारी किये गए निर्देशों या आदेशों का कार्यान्वयन;

परन्तु जहां ऐसे कोई कृत्य ग्राम सभा को सौंपे गए हैं वहां वह यथास्थिति राज्य सरकार जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अधिका के रूप में कार्य करेगी और उस प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक निधियां और अन्य सहायता की व्यवस्था यथास्थिति राज्य सरकार जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी;

(डड) बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाना और उसका प्रबंध करना;

(ढढ) विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन करना;

(णण) ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर विकास स्कीमों और निर्माण कार्य को क्रियान्वित करना निष्पादित करना और उनका पर्यवेक्षण कलना,

(तत) हितग्राहिता मूलक स्कीमों और कार्यक्रमों का नियंत्रण क्यना और उन्हें मॉनीटर करना;

(थथ) व्यापक रूप में जन साधारण में सामान्य जागरुकता को प्रोन्नत करना;

(दद) सामुदायिक कार्य के लिए स्वैच्छिक श्रम और सहायता की व्यवस्था करना तथा सामुदायिक स्वामित्व की धारणा को प्रोन्नत बना,

(धध) अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट बल क्षेत्र तक लघु जल निकायों की योजना

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

बनाना, स्वामित्व रखना और प्रबन्ध करना;

(नन) मछली पकड़ने और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र तथा लघु जल निकाय को पदटे पर देना;

(पप) सिंचाई प्रयोजन के लिए नदियो, जलधारा, लघु जल निकायो के उपयोग को विनियमित करना;

(फफ) ग्राम सभा को अंतरित या उसके द्वारा नियत किये गए समस्त सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।)

(2) ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व किया जाएगा और ग्राम पंचायत ऐसे सम्मिलन के समक्ष निम्नलिखित बाते रखेगी: -

(क) लेखाओं का वार्षिक विवरण;

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय बर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट;

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम;

(घ) अंतिम संपरीक्षा टिप्पण और उसके सम्बन्ध में दिये गये उत्तर, यदि कोई हों;

(ड.) ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना ।

(2-क) ग्राम पंचायत ऐसे मामलो को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जिन्हें कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलक्टर या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सम्मिलन के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा करे।)

MAPIT (MP Code)

(3) ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन अपने समय के मामलों के सम्बन्ध मे ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों को, यदि कोई हो, कार्यान्वित करेगी।

www.code.mp.gov.in

7-क. ग्राम सभा की स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति - (1) ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ग्राम सभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन करेगी, अर्थात्:-

(1) ग्राम निर्माण समिति; और

(2) ग्राम विकास समिति।)

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित स्थायी समितियों के अतिरिक्त, ग्राम सभा, किसी समयबद्ध कार्य के क्रियान्वयन के लिए एक या अधिक ऐसी तदर्थ समितियो का गठन कर सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे। समिति मे ऐसे सदस्य समाविष्ट होगे जो समिति को सौंपे गए कार्य में हित रखते हैं टेक होल्डर समिति ग्राम सभा द्वारा कार्य के समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात् अस्तित्व में नहीं रहेगी ।

(3) ऐसी समितियों जो ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर पहले से ही कार्य कर रही हो, ग्राम सभा के अनुमोदन से कार्य करती रहेंगी।

(4) सदस्यों की संख्या, स्थानों का आरक्षण, पदावधि, त्यागपत्र तथा हटाए जाने के लिए प्रक्रिया, कार्य संचालन, सदस्य होने के लिए पात्रता, सम्मिलन, रिक्ति को भरे जाने का ढंग तथा स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों की प्रक्रिया ऐसी होगी जो कि विहित की जाए।

7-ख. स्थायी समितियों का गठन और उनके कृत्य – (1) ग्राम निर्माण समिति, ग्राम पंचायत के एक अभिकरण (एजेन्सी) के रूप में कार्य करेगी और पांच लाख रूपये तक के समस्त निर्माण कार्य तथा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा सौपें गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी।

(2) ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति, का पदेन अध्यक्ष होगा।

(***)

(4) ग्राम विकास समिति का गठन तथा उसके कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

(5) ग्राम निमार्ण समिति के सदस्य, ग्राम विकास समिकित में ऐसी रीति में सम्मिलित किए जाएंगे जैसी कि विहित जाए।

(6) समिति के गठन तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त विवाद धारा 122 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा निपटाये जाएंगे।

(7-ग. ***)

(7-घ. समिति की शक्तियां कृत्य तथा कर्त्तव्य - समिति की शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो ग्राम सभा द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं। प्रत्येक समिति, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदार होगी और उसके नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी।

(7-ङ. सदस्य का हटाया जाना - ग्राम सभा को, अभिलिखित किए जाने बाले कारणों से किसी भी समय समिति के किसी भी सदस्य को हटाने की शक्ति होगी।)

(7-च ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य - ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति संयुक्त रूप से ग्राम के संपूर्ण विकास के लिए एक योजना तैयार करेगी तथा इसे ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।)

(7-छ. स्थायी समिति का सचिव - ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम समिति तथा ग्राम विकास समिति, का भी पदेन सचिव होगा।

(7-छक. ग्राम सभा की दीर्घकालिक विकास योजना का तैयार किया जाना - (1) ग्राम सभा आगामी दस वर्षो में प्राप्त होने वाली अनुमानित निधि का मूल्यांकन करेगी और विशेषज्ञों की सहायता से ग्राम विकास के लिए दस वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन योजना, ग्राम सभा की भूमि उपयोग योजना तथा बुनियादी सुख-सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष ग्राम सभा के ग्राम कोष को प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों पर आधारित वार्षिक योजना के माध्यम से दीर्घकालिक योजना प्राथमिकता

MAP IT (MP Code)
www.codemp.gov.in

के आधार पर तैयारी की जाएगी।

7 -छख. ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई **-** ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोकसेवक समझे जाएगे।)

(7-ज. ग्राम सभा के विनिश्चय के विरुद्ध समिति को अपील - ग्राम सभा के विनिश्चय के विरुद्ध अपील, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उस क्षेत्र की जनपद पंचायत के सदस्य तथा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) से मिलकर बनने बाली समिति की अपील समिति को ऐसी रीति मे होगी, जो कि विहित की जाए।)

(7-झ. बजट - प्रत्येक ग्राम सभा, प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप मे तथा ऐसी रीति में तथा ऐसी तारीख तक जो विहित की जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय का बजट प्रारूप तैयार करेगी।)

(7-ञ. ग्राम कोष - (1) प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित करेगी जो निम्नलिखित चार भागो से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा : -

(एक) अन्न कोष; (दो) श्रम कोष; (तीन) वस्तु कोष; (चार) नगद कोष;

तथा उसमे निम्नलिखित जमा होगी : -

(क) दान;

(ख) अन्य स्रोतों से आय;

(ग) जिला पंचायत राज निधि से या त्रिस्तरीय पंचायतों की निधि से प्राप्त कोई राशि भू-राजस्व के आगम, भू-राजस्व पर उपकर, गौण खनिज पर प्राप्त रॉयल्टी, मछली पकड़ने के अधिकार के पट्टे, चराई फीस तथा शाला भवन उपकर से प्राप्त आय जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित या नियत की जाए;

(ध) अनुसूची 1-क तथा अनुसूची 2-क में यथा उल्लिखित अधिरोपित कर, शुल्क, पथकर और फीस तथा ग्राम सभा की अन्य आय; और

(ङ.) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त कोई राशि जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित मानदण्डो के अनुसार ग्राम सभा को आवंटित की जानी हो।

(2) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपनधो के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम सभा में निहित समस्त संपत्ति और ग्राम कोष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या ग्राम के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य व्ययों के लिए उपयोजित किया जाएगा वो ग्राम सभा अनुमोदित करें;

परन्तु किसी स्कीम के अधीन प्राप्त की गई निधियों का उपयोग यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) ग्राम कोष ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा और संधारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) ग्राम कोष का प्रवर्तन ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाएगा तथा ग्राम कोष में से समस्त रकमें ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जाएंगी तथा आहरण का लेखा ग्राम विकास समिति के सचिव द्वारा संधारित किया जाएगा। ग्राम कोष में हुई समस्त प्राप्तियां तथा उससे किए गए समस्त आहरणों के संबंध में जानकारी ग्राम सभा के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी।

7-ट. लेखा तथा संपरीक्षा–ग्राम सभा समुचित रूप से लेखा पुस्तकें संधारित करवाएगी तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैया करेगी। ग्राम सभा के लेखाओं की संपरीक्षा समय-समय पर ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राध्सिाकारी द्वारा की जाएगी जो कि विहित किया जाए तथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी।

7-ठ. सरकरी कर्मचारियों पर नियंत्रण - (1) किसी ग्राम सभा को किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसका ग्रामसभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता क्षेत्र आता है, का वेतन रोकने, छुट्टी मंजूर करने, कार्य का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।

(2) ग्राम सभा को उपधारा (1) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी के अवचार तथा कर्त्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियों के अधिरोपण के संबंध में सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को करने की शक्ति होगी।)

MAP IT (MP Code)

7-ड. ग्राम सभा के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति - राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम सभा को सौंपी गये कृत्यों तथा कर्त्तव्यों में वृद्धि कर सकेगी या उन्हें वापिस ले सकेगी जहां राज्य सरकार ग्राम सभा को सौपे गए किन्हीं कृत्यों के निष्पादन को अपने हाथ में ले लेती है।)

www.code.mp.gov.in

अध्याय 3
पंचायतों की स्थापना

8. पंचायतों का गठन - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये -

(क) ग्राम के लिये ग्राम पंचायत;

(ख) खण्ड के लिये जनपद पंचायत; और

(ग) जिला के लिये जिला पंचायत;

का गठन किया जाएगा।

9. पंचायत की अवधि - (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के लिये नियत तारीख से पांच

वर्ष तक के लिये बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित नहीं कर दी जाए।

(2) किसी पंचायत का गठन करने के लिये निर्वाचन - -

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा कर लिया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसी शेष कालावधि, जिसके लिये कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिये उस पंचायत का गठन करने हेतु इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस कालावधि के केवल उतने शेष भाग के लिये बनी रहेगी, जिसके लिये विघटित पंचायत, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो वह उपधारा (1) के अधीन बनी रहती।

10. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना - (1) प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिये जो धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है एक ग्राम पंचायत होगी।

(2) राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले को खण्डों में विभाजित कर सकेगा। अधिसूचना में प्रत्येक ऐसे खण्ड का नाम, उसका मुख्यालय और समाविष्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक खण्ड के लिये एक जनपद पंचायत होगी जो उस खण्ड के नाम से जानी जाएगी।

(3) प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत होगी :

परन्तु तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन गठित प्रत्येक नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनेगी।

11. पंचायतों का निगमन - प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत उस नाम से, जो यथास्थिति, ग्राम के लिये धारा 3 के अधीन आदेश में या जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये धारा 10 के अधीन अधिसूचना में उनके लिये विनिर्दिष्ट किया गया है, एक निगमित निकाय होगी, उनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उनकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वे उक्त नाम से बाद चलाएगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध बाद चलाए जाएंगे और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उन्हें जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अन्तरित करने, संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी।

12. ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन - प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को दस से अन्यून वार्डों में, जैसा कलेक्टर

MAPIT (MP Code)
www.codemp.gov.in

अवधारित करे, विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक वार्ड एक सदस्यीय वार्ड होगा :

परन्तु जहाँ ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से अधिक हो, वहाँ उसे ऐसी रीति में वार्डों में विभाजित किया जाएगा जिससे कि वार्डों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो और प्रत्येक बार्ड की जनसंख्या यथासाध्य एक जैसी ही होगी :

परन्तु यह और भी कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या का और ऐसी पंचायत में वार्डों की संख्या के बीच का अनुपात, ऐसे समूर्ण खण्ड के लिये जिसके भीतर पंचायत क्षेत्र आता है, यथासाध्य एक जैसा ही होगा।

13. ग्राम पंचायत का गठन - (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंच से मिलकर बनेगी।)

(2) यदि कोई ग्राम या वार्ड, यथास्थिति, किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिये यथास्थिति, ऐसे ग्राम या वार्ड में नई निर्वाचन की कार्यवाहियां छ: मास के भीतर प्रारम्भ की जाएंगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन सरपंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण निर्वाचित पंच धारा 17 की उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 20 के अधीन प्रथम सम्मिलन में अपने में से एक सरपंच का निर्वाचन करेंगे जो इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन क्लेगा :

परन्तु यह और भी कि ग्राम पंचायत के गठन के लिये आगे की और कार्यवाहियां, इस उपधारा के अनुसार पंच का निर्वाचन लम्बित होने के कारण रोकी नहीं जाएंगी :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई ग्राम या वार्ड पुन: यथास्थिति किसी सरपंच या किसी पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो यथास्थिति ऐसे ग्राम में या ऐसे वार्ड में पंच के निर्वाचन की नई कार्यवाहियां तब तक प्रारम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान न हो जाए कि यथास्थिति ऐसे ग्राम से या ऐसे वार्ड से सरपंच या पंच का निर्वाचन किये जाने की संभाव्यता है और यदि आयोग यह विनिश्चय करता है कि सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाए, तो प्रथम परन्तुक के अधीन निर्वाचित सरपंच इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा।)

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(***)

(4) (एक) प्रत्येक ग्राम पंचायत में --

(क) अनुसूचित जातियों, और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस पंचायत में

भिन्न-भिन्न वार्डों के लिये विहित रीति से (***) आवंटित किये जा सकेंगे।

(दो) किसी ग्राम पंचायत में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनो के लिये पचास प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये है वहां स्क स्थानो की संख्या के 25% के स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जाएगे और ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किये जाएंगे।

(5) उपधारा (4) के अधीन आरक्षित किये गये स्थानो की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओ के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में ग्राम पंचायत में भिन्न- भिन्न वार्डों के लिये लौट निकाल कर और चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।

(7) ऐसे वार्डों को जिनमे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की कोई जनसंख्या नहीं है, उन्हें यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

14. मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिये अर्हता - (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाताओं की सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के जिसके क्षेत्र में वह ग्राम समाविष्ट है पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जब तक कि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न हो किसी (***) पंचायत के पदधारी के रूप में (निर्वाचित) किये जाने के लिये अहित होगा।

यदि किसी नामनिर्देशन-पत्र में चुनाव चिन्ह न भरा गया हो तो इस आधार पर नामनिर्देशन-पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उचित यह होगा कि निर्वाचन अधिकारी अभ्यार्थी को स्वेच्छा से कोई चिह आवंटित कर दे।

15. एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध - कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिये यथास्थिति एक से अधिक वार्डों या निर्वाचित क्षेत्रों से खड़ा होने के लिये पात्र नहीं होगा।

16. सहयोजन के लिए सम्मिलन -- (***)

17. सरपंच और उप-सरपंच का निर्वाचन - (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उप-सरपंच होगा। कोई व्यक्ति जो --

(एक) पंच के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अहित है;

(दो) संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं है; और

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(तीन) किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप-सभापति नहीं है,

उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, ऐसी रीति में निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) (एक) खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये ग्राम पंचायत के सरपंचों के उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जिनका अनुपात खण्ड के सरपंचों की कुल संख्या के साथ वही होगा जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का खण्ड की कुल जनसंख्या के साथ है :

परन्तु उस खण्ड का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसे खण्ड में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले ग्राम पंचायत के सरंपच की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिये उस खण्ड के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी।

(दो) खण्ड में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या पचास प्रतिशत से क्य है, वहां खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कुल पदों के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जाएंगे।

(3) खण्ड के भीतर सरपंचों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस धारा के अधीन आरक्षित रखे गये स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा खण्ड के भीतर ग्राम पंचायती मे बिहित रीति में चक्रानुक्रम से आवटित किये जाएगे :

परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत को, जिसमे अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियो या अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो या अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(5) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् ग्राम पंचायतों के उपसरपंच का निर्वाचन तुरन्त ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का नहीं है, तो उप सरपंच ऐसी जातियों या ऐसी जनजातियों या ऐसे वर्गो के पंचो में से निर्वाचित किया जाएगा।

(7) यदि सरपंच या उप-सरपंच संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य बिधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप-सभापति हो जाता है, तो उसके सम्बन्ध मे यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति सरपंच या उप-सरपंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उप-सभापति हुआ है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पद मे धारा 38 के प्रयोजन के लिये आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(8) इस धारा मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरपंच को, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनो के लिये ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा।

18. बहिर्गामी सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष) द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना -- (1) नये निर्वाचित सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने धारा 20 में यथा उपबंधित प्रथम सम्मिलन की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

(2) यदि बहिर्गामी सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष) अपने कब्जे में के कोई कागज पत्र या संपत्ति नये निर्वाचित सरंपच (या ग्राम निर्माण समिति के अध्यक्ष) को नहीं सौंपता है या सौंपने से इकार करता है, तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा बहिर्गामी सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति के अध्यक्ष] को निर्देश दे सकेगा कि वह एक ऐसे समस्त कागज पत्र और सम्पत्ति, जो ऐसे सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति के अध्यक्ष की हैसियत से उसके कब्जे में है, यथास्थिति, नये सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति के अध्यक्ष), उप-सरपंच या ग्राम पंचायत के सचिव को तत्काल सौंप दे।

(3) यदि बहिर्गामी सरपंच (या ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष उपधारा (2) के अधीन निदेश का अनुपालन नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी उसके विरुद्ध धारा 92 के अनुसार कार्यवाही करेगा और धारा 98 के अधीन अभियोजन आरम्भ करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(4) ऐसा सरपंच या ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष, जिसके विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन कार्रवाई की गई है, और जिसको दोषी पाया गया है, दोषी पाये जाने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये पंचायत का सदस्य या पदधारी होने के लिये निरर्हित होगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी निरर्हता हटाई जा सकेगी या उसकी कालावधि में कमी की जा सकेगी।

19. निर्वाचन की अधिसूचना - सरपंच, उप-सरपंच और पंचों के प्रत्येक निर्वाचन को विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रकाशित किया जाएगा।

20. प्रथम सम्मेलन और पदावधि -- (1) ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 19 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसा सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मेलन के सम्बन्ध में धारा 44 के उपबंध यथाशक्य उक्त सम्मेलन को लागू होंगे।

(2) ग्राम पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से पाँच वर्ष के लिये पद धारण करेगे इससे अधिक नहीं:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत का पदधारी होने वाला प्रत्येक व्यक्ति --

(एक) उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता न रहने पर; था।

(दो) उसके राज्य विधान सभा के सदस्य या संसद के किसी सदन के सदस्य होने पर, तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

(3) यदि उपधारा (2) मे वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह कालावधि का अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उस पंचायत के सम्बन्ध में, छह मास से अनधिक कालावधि के लिये, जिस कालावधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे।

21. सरपंच और उप-सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव -- (1) उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह सरपंच या उप-सरपंच, जिसके विरूद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जायेगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सरपंच या उप-सरपंच उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। यथास्थिति सरपंच या उप सरपंच को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) किसी सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव - -

(एक) उस तारीख से, जिसको वह सरपंच या उप-सरपंच अपना पद ग्रहण करता है [3](ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर

(दो) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति उस सरपंच या उप-सरपंच की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर

(तीन) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, [3](छः मास) की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति सरपंच या उप-सरपंच, उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता है तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था सात दिन के भीतर कलेक्टर को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21 -क. ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना - - (1) किसी ग्राम पंचायत के प्रत्येक सरपंच द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी प्रक्रिया तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न क्य दिए जाएं और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत न क्य दिया जाए :

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया - -

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा सरपंच आम निवार्चन में निर्वाचित होकर अपना पद धारण करता है ढाई वर्ष के भीतर आरम्भ नहीं की जाएगी; या

(दो) यदि उप चुनाव में निर्वाचित सरपंच की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरम्भ नहीं की जाएगी।

(2) किसी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पंच द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि ऐसे वार्ड का गठन करने वाली ग्राम सभा, जिसके कि लिये पंच निर्वाचित किया जाए, के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा उसे वापस बुला लिया जाए ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध किसी पंच के वापस बुलाए जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) यदि यथास्थिति, कोई सरपंच या पंच पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन उसे वापस बुलाए जाने की वैधता पर आक्षेप करने की वांछा करता है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद रिक्त करता है सात दिन के भीतर, विवाद को कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा जो, यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था 30 दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. जनपद पंचायत की संरचना -- (1) प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी - -

(एक) निर्वाचन क्षेत्रो से निर्वाचित सदस्य;

(दो) (***)

(तीन) राज्य विधान सभा के समस्त ऐसे सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्री से जो पूर्णत: या अवर: खण्ड के भीतर पड़ते है, निर्वाचित हुए हैं:

परन्तु राज्य विधान सभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जनपद पंचायत का सदस्य नही होगा :

परन्तु यह और भी कि राज्य विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है यदि वह अनुपस्थिति, सणता या किसी अन्य कारण से समिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो जनपद पंचायत के समिल मे उपस्थित होने के लिये अपने ऐसे प्रतिनिधि को नामनिर्देशित कर सकेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं, जैसा कि इस निमित्त विहित किया जाए;

(चार) जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र मे के सरपचोँ का एक पचमाश चक्रानुक्रम से एक वर्ष की कालावधि के लिये, जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा लाट निकाल म अवधारित किया जाए:

परन्तु कोई भी सरपंच जो इस खण्ड के अधीन एक अवधि के लिये सदस्य है, अरी अवधि के लिये सदस्य होने के लिये पात्र नही होगा:

परन्तु यह और भी कि कोई भी सरपंच जो इस खण्ड के अधीन सदस्य है, धारा 47 के अधीन

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

समितियों का सदस्य नहीं होगा।)

(2) से (6) (∗∗∗)

(7) यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिये ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन की कार्यवाहियां छह मास के भीतर प्रारम्भ की जाएंगी:

परन्तु जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियाँ, इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन लम्बित होने के कारण रोकी नहीं जाएंगी :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुन: किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य के निर्वाचन की नई कार्यवाहियाँ तब तक प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान न हो जाए कि निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन किये जाने की संभाव्यता है।

23. खण्ड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन -- (1) उपधारा (2) के उपनबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी खण्ड को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पांच हजार हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा :

परन्तु जहां किसी खण्ड की जनसंख्या पचास हजार से कम है, वहां उस खण्ड को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एष्क जैसी होगी:

परन्तु यह और भी कि किसी खण्ड मे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पच्चीस से अधिक नही होगी ।

(2) किसी जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या के और ऐसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रो की संख्या के बीच का अनुपात, सम्पूर्ण राज्य में यथासाध्य एक जैसा ही होगा।

(3) (एक) प्रत्येक जनपद पंचायत मे - -

(क) अनुसूचित जातियों, और

(ख) अनुसूचित जनजातियो

के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानो की संख्या का अनुपात उस जनपद पंचायत मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियो की अथवा उस जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियो की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस जनपद पंचायत मे विहित रीति में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रो के लिये (∗∗∗) आवंटित किये जा सकेगे :

परन्तु उस जनपद पंचायत क्षेत्र का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसे जनपद पंचायत के अनुसूचित जनजातियो के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानो की संख्या की गणना करने के प्रयोजन

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

के लिये उस जनपद पंचायत के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रो की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित क्य दी जाएगी।

(दो) किसी जनपद में जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, दोनों के लिए पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं वहां कुल स्थानो की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षित किये जायेगे और ऐसे स्थान से भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति मे चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किये जायेगे।

(4) उपधारा (3) के अधीन, आरक्षित किये गये स्थानो की कुल संख्या के कम से कम (आधे) स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या यथास्थिति अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओ के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(5) प्रत्येक जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम (आधे) स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेगे और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा जनपद पंचायत में विहित रीति मे भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रो के लिये लाट निकालकर और चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेगे।

(***)

(6) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया जायेगा।)

MAPIT (MP Code)

24. सहयोजन के लिए सम्मिलन -- (***)

25. जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन -- (1) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तुरंत ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा।

www.code.mp.gov.in

(2) (एक) जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद - -

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों;

के लिये आरक्षित रखा जाएगा और जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात उस जिले में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जिले में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है :

परन्तु उस जिले का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी जिले के अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन

के लिये उस जिले के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी।

परन्तु यह और भी कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम आधे पद न्यूनतम एक के अध्यधीन रहते हुए महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेगे :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन आरक्षित पद विहित प्राधिकारी द्वारा जिले के भीतर जनपद पंचायतों में विहित रीति में चक्रानुक्रम से आरक्षित किये जायेगे :

परन्तु यह भी कि ऐसी जनपद पंचायतो को, जहां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानो का आरक्षण नहीं है, यथास्थिति ऐसी जातियों या ऐसी जनजातियो के अध्यक्ष के पदो का आरक्षण करने के लिये अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(दो) जिले में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहां जिले के भीतर जनपद पंचायतों के अध्यक्षो में से पच्चीस प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जायेगे।

(3) उपधारा (2) तथा (4) के उपनयों के अध्यधीन रहते हुए जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों दारा तथा उनमें से निर्वाचित किये जाएंगे।

(4) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ वर्गो का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियो या जनजातियो या ऐसे वर्गो मे से निर्वाचित किया जायेगा।

(5) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उप सभापति हुआ है और धारा 38 के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्तिं हो गई है।

MAPIT (MP Code) www.code.mp.gov.in

26. सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन -- जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए प्रकाशित किये जाएंगे।

27. प्रथम सम्मिलन और पदावधि -- (1) जनपद पंचायत का प्रथम सम्मिलन धारा 26 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसा सम्मिलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मिलन के संबंध में धारा 44 के उपबंध यथाशक्य उक्त सम्मिलन को लागू होगे।

(2) इस अधिनियम में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो जनपद पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मिलन की तारीख से पाँच वर्ष के लिये पद धारण करेगे, इससे अधिक नहीं :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जनपद पंचायत का कोई पदधारी खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता न रहने पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(3) यदि उपधारा (2) में विहित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, जनपद पंचायत नवीनतः गठित नहीं

की जाती है तो वह उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उसके सम्बन्ध में छह मास से अनधिक कालावधि के लिये, जिस कालावधि के भीतर जनपद पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होगे।

28. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्बाम का प्रस्ताव - - (1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों से तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से जो तत्समय जनपद पंचायत का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्योंकी कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जनपद पंचायत द्वारा पारित कार दिया जाने पर, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके बिम्ब ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करें। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव -

(एक) उस तारीख से, जिसको वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर;

(दो) उस तारीख से जिसको यथास्थिति उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर;

(तीन) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामक किया गया था, [2](छह मास) की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता है, तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था दस दिन के भीतर आयुका को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अतिम होगा।)

29. जिला पंचायत का गठन -- (1) प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(एक) निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य;

(दो) (***)

(तीन) लोक सभा के समस्त ऐसे सदस्य, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्णत: या अंशत: जिले के भाग हैं;

(चार) मध्यप्रदेश राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले में की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है;

(पांच) राज्य विधान सभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं:

परन्तु लोक सभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे।

परन्तु यह और भी कि राज्य विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य या कोई ऐसा संसद सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, यदि वह अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो जिला पंचायत के सम्मिलन में उपस्थित होने के लिये अपने ऐसे प्रतिनिधि को नामनिर्देशित कर सकेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं, जैसा कि इस निमित्त विहित किया जाए।

(छह) जिले में की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष :

परन्तु जनपद पंचायत का कोई अध्यक्ष जो इस खण्ड के अधीन सदस्य है धारा 47 के अधीन समितियों का सदस्य नहीं होगा।

(2) (***)

(3) (***)

(4) यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिये ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन कार्यवाहियां छह मास के भीतर प्रारम्भ की जायेंगी:

परन्तु जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियां इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन लम्बित होने के कारण रोकी नहीं जायेंगी :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुन: किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन की कार्यवाहियां तब तक प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान न हो जाये कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन किये जाने की संभाव्यता है।)

30. जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन -- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी जिले को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यावत्साध्य पचास हजार हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा :

परन्तु जहां किसी जिले की जनसंख्या पांच लाख से कम है, वहां उस जिले को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रो में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी:

परन्तु यह और भी कि जिले में निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या पैतीस से अधिक नही होगी।

(2) किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या के और ऐसे जिला पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रो

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

की संख्या के बीच का अनुपात, सम्पर्ण राज्य में यथासाध्य, एक जैसा ही होगा।

(3) (एक) प्रत्येक जिला पंचायत मे, - -

(क) अनुसूचित जातियों और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिये स्थान आरक्षित रखे जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानो की संख्या का अनुपात उस जिला पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस जिला पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्री के लिये (***) आवंटित किये जा सकेगे :

परन्तु उस जिले का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसी जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानो की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिये उस जिले के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रो की कुल जनसंख्या तथा उसमे की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जायेगी।

(दो) किसी जिला पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, दोनों के लिए पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से क्य स्थान आरक्षित किये गये हैं वहां कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जायेगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में चक्रानुक्रम से कलेक्टर द्वारा आवंटित किये जायेगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित किये गये स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेगे।

(5) जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा जिला पंचायत में विहित रीति में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये लाट निकाल कर और चक्रानुक्रम में आंवटित किये जा सकेंगे।

(***)

(6) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

31. सहयोजन के लिए सम्मिलन -- (***)

32. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन - - (1) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तुरन्त ऐसी रीति मे, जैसी कि विहित की जाए,

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

करवाएगा।)

(2) (एक) अध्यक्ष के पद

(क) अनुसूचित जातियों और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिये आरक्षित रखे जायेगे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (जिनके अन्तर्गत अध्याय 14-क के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या भी है) के लिये आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदो की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है:

परन्तु जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदो की कुल संख्या के कम से कम (आधे) पद महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेगे :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन आरक्षित अध्यक्ष के पद विहित प्राधिकारी द्वारा राज्य के भीतर जिला पंचायत में, विहित रीति मे चक्रानुक्रम से आरक्षित किये जायेगे:

परन्तु यह भी कि ऐसी जिला पंचायत को, जहां यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण नहीं है, वहां यथास्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों के पदों का आरक्षण करने के लिये लाट निकालने से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(दो) राज्य के भीतर जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पदों में से पच्चीस प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जायेगे।

(3) उपधारा (2) तथा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किये जायेगे।)

(4) यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गो के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा।

(5) यदि किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हो जाता है और धारा 38 के प्रयोजन के लिये यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

33. सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन -- जिला पंचायतों के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किये जाएंगे जो कि विहित की जाए।

33-क. लिपिकीय गलतियों या लोप का ठीक किया जाना -- इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाये गये

MAP_IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 की उपधारा (4), (5) और (6), धारा 17 की उपधारा (2), (3) और (4), धारा 23 की उपधारा (3), (4) और (5), धारा 25 की उपधारा (2), धारा 30 की उपधारा (3), (4) और (5) तथा धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन स्थानों के आरक्षण से सम्बन्धित कोई लिपिकीय गलती या लोप जो अभिलेख में देखने से ही प्रकट है, निर्वाचन कार्यवाहियाँ प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय, विहित प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किये गये अधिकारी की पूर्व अनुमति से सुधारी जा सकेंगी।

34. प्रथम सम्मिलन और पदावधि -- (1) जिला पंचायत का प्रथम सम्मिलन धारा 33 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसा सम्मिलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मिलन के सम्बन्ध में धारा 44 के उपबंध यथाशक्य उक्त सम्मिलन को लागू होंगे।

(2) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, जिला पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष के लिये पद धारण करेगे, इससे अधिक नहीं :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला पंचायत का कोई भी पदधारी-

(क) जिले के भीतर के ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता;

(ख) (***)

न रहने पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(3) यदि उपधारा (2) में विहित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, जिला पंचायत नवीनत: गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उसके सम्बन्ध में छह मास से अनधिक कालावधि के लिये, जिस कालावधि के भीतर जिला पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

35. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव -- (1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्य के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय जिला पंचायत का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस समिल की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है । ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव : -

(एक) उस तारीख से जिसको वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर;

(दो) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर;

(तीन) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास का प्रस्ताव नामंजूर किया गया था छह मासा की कालावधि के भीतर लाया जायेगा।

(4) यदि यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता है, तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ, पैंतालीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

36. पंचायत का पदधारी होने के लिये निरर्हताएं -- (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा, --

(क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात् - -

(एक) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या स्वापक पदार्थों (नारकोटिक्स) के उपयोग, उपभोग या विक्रय से सम्बन्धित किसी विधि के अथवा राज्य के भाग में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोषसिद्धि के समय से पांच बर्ष की कालावधि या ऐसी क्य कालावधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, व्यतीत न हो चुकी हो; या

(दो) किसी अन्य अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कम से कम छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसके छोड़े जाने से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, व्यतीत न हो चुकी हो; या

(ख) जो विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(ग) जो दिवालिया न्याय-निर्णीत किये जाने वाला आवेदक है या जो अनुन्मोचित दिवायिला है; या

(***)

(गख) जिसने संपूर्ण शोध्यों का संदाय नहीं किया है, जो पंचायत द्वारा वसूली योग्य हैं और ऐसे आशय की घोषणा कि उसके द्वारा किसी भी मद में पंचायत को किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है, नामनिर्देशन-पत्र के साथ फाइल नहीं की है; या

(गग) जिसने पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अधिक्रमण किया है; या)

(घ) पथ जो किसी पंचायत के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी की या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में है :

परन्तु किसी व्यक्ति को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959), के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त किये जाने के कारण इस खड के अधीन निरर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा; या

(ड.) जो राज्य सरकार की या केन्द्र सारकार की या किसी पंचायत की या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसायटी की या केन्द्रीय सरकारी की या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के कारण पदच्युत कर दिया गया है; या

(च) जो पंचायत के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा मे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई अंश या हित रखता है, जबकि वह ऐसा अंश या हित रखता है :

परन्तु किसी भी व्यीक्त को खंड (च) के अधीन केवल इस कारण से निरर्हित हुआ नही समझा जाएगा कि - -

(एक) किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी (ज्वास्ट स्टॉक कम्पनी) में उसका कोई अंश है या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 क्रमांक 44 सन 1973), के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगम मे या किसी सहकारी सोसाइटी में, जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाएगा, उसका कोई अंश या हित है; या

(दो) ऐसे किसी समाचार-पत्र में जिसमें पंचायत के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है; या

(तीन) वह पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई डिबेन्चर धारण करता है या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी उधार से अन्यथा सम्बन्धित है; या

(छ) जो पंचायत की ओर से वैतनिक विधि-व्यवसायी के रूप में नियोजित किया गया है; या

(ज) जो इस प्रकार के कुष्ठ रोग से पीड़ित है जो संक्रामक है; या

(झ) जिसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति की कोई अभिस्वीकृति दे दी है; या

(ञ) जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार किये जाने बाले किसी निर्वाचन में नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्ववर्ती पांच वर्प की कालावधि के दोरान धारा 130 के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन निरर्हित कर दिया गया है और ऐसी निरर्हता की कालावधि व्यतीत नहीं हुई है या ऐसी निरर्हता नहीं हटा दी गई है; या

(ट) जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान सभा के निर्वाचन के

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रयोजन के लिये निरर्हित है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 बर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ठ) जो राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है;

(***)

(2) यदि कोई व्यक्ति पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचित (***) किया जाने पर -

(क) उपधारा (1) में वर्णित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो जाता है और ऐसी निरर्हता हटाई जाने योग्य नहीं है या हटाई जाने योग्य होते हुए भी हटाई नहीं गई है या जो उसकी निरर्हता को, जो धारा 122 के अधीन किसी चुनाव याचिका द्वारा प्रश्नगत और विनिश्चित न की गई हो, को लाते हुए पदाधिकारी हो जाता है;

(ख) पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लेता है;

(ग) पंचायत की इजाजत के बिना, पंचायत या उसकी समिति के क्रमवर्ती सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है या छह मास की कालावधि में हुए सम्मिलनों में से आधे सम्मिलनों में उपस्थित नहीं होता है;

तो वह उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसा पदधारी नहीं रह जाएगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा :

MAP IT (MP Code)

परन्तु जहां किसी पदधारी ने खण्ड (ग) के अधीन अनुपस्थित रहने की इजाजत के लिये पंचायत को आवेदन किया है, और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर आवेदन पर अपने विनिश्चय से आवेदक को सूचित नहीं करती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदित इजाजत पंचायत द्वारा दे दी गयी है।

www.code.mp.gov.in

(3) प्रत्येक मामले में यह विनिश्चित करने के लिये कि क्या उपधारा (2) के अधीन कोई पद रिक्त हुआ है, सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत के संबंध में आयुक्त होगा जो या तो व्यक्ति द्वारा उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से अपना विनिश्चय दे सकेगा। जब तक यथास्थिति कलेक्टर या आयुक्त यह विनिश्चित नहीं करता है कि पद में रिक्ति हुई है तब तक वह व्यक्ति पदधारी बना रहेगा:

परन्तु किसी पदधारी के विरुद्ध इस उपधारा के अधीन कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति कलेक्टर या आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर क्रमश: आयुक्त या राजस्व मंडल को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में उसका आदेश अंतिम होगा।

37. पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र -- (1) ग्राम पंचायत का कोई पंच या जनपद पंचायत का कोई सदस्य या जिला पंचायत का कोई सदस्य यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष को इस आशय की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा।

(2) ग्राम पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा।

(3) सूचना देने की रीति तथा त्यागपत्र निविदत्त करने तथा उसके प्रभावी होने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परन्तु त्यागपत्र निविदत्त करने वाला व्यक्ति उसके प्रभावशील होने के पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा।

38. रिक्तियों का भरा जाना --- (1) (क) पंचायत के किसी पदधारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसके हटा दिये जाने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या ससद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जायेगी।

(ख) किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद मे आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में यथास्थिति ग्राम पंचायत का सचिव, पंचायत का एक विशेष सम्मिलन तत्काल-बुलायेगा किन्तु जो ऐसी रिक्ति के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् की न हो और सदस्यअपने मे से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे जो तब तक अस्थाई रूप से पद धारण करेगा जब तक कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति नवीन सरपंच निर्वाचित नहीं हो जाता है और यथास्थिति ऐसा स्थानापन्न सरपंच निर्वाचन के लम्बित रहने के दौरान सरंपच के समस्त कर्त्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा:

परन्तु यदि सरपंच का पद अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य के लिये या महिला के लिये आरक्षित है तो स्थानापन्न सरपंच ऐसे प्रवर्ग से सम्बन्धित सदस्यो मे से निर्वाचित किये जायेगे:

परन्तु यह और भी कि जहां सरपंच का पद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिला के लिये आरक्षित है और उस प्रवर्ग की कोई ऐसी अन्य महिला नहीं है जिसे स्थानापन्न सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जा सके, वहां अन्य आरक्षित प्रवर्गो मे से किसी अन्य महिला को आकस्मिक रिक्ति के दौरान स्थानापन्न सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा।]

(ग) यदि बहिर्गामी पदधारी पंचायत के ऐसे किसी अभिलेख, वस्तु, धन या सम्पत्ति अपने उत्तरवर्ती को तत्काल नहीं सौंपता है तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसे ऐसे सौंप देने का निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेश का अनुपालन न करने पर विहित प्राधिकारी उसके विथ्व धारा 92 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा और उसे अभियोजित करने के लिये धारा 98 के अधीन आवश्यक कदम उठा सकेगा ।

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

39. पंचायत के पदधारी का निलम्बन --- (1) विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को पद से निलम्बित कर सकेगा--

(क) जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 5 - क, 6, 9], 9 -क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304 -ख, 305, 306, 312 से 318 तक, 366 - क, 366 - ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, (स्त्रियों तथा बालक के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार, दमन, सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण] सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किये गये हो या

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये निलम्बन आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को दस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार पारित करना उचित समझे । यदि निलम्बन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया समझा जाएगा।

(3) यथास्थिति ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन निलम्बित कर दिये जाने की दशा में, सम्बन्धित पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत का एक विशेष सम्मिलन तत्काल बुलायेगा किन्तु जो ऐसी रिक्ति के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं हो और सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे जो अस्थायी रूप से यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष का पद धारण करेगा और ऐसा स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष, उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलम्बन चालू रहता है, यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा:

परन्तु यदि सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य या इन प्रवर्गो में से किसी प्रवर्ग की महिला के लिये आरक्षित है तो, स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष उसी प्रवर्ग के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि जहां सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की महिला के लिये आरक्षित है और पंचायत में उस प्रवर्ग की अन्य कोई महिला सदस्य नहीं है, जिसे यथास्थिति स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सके, वहां अन्य आरक्षित प्रवर्गो की किसी अन्य महिला सदस्य को यथास्थिति स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा।]

(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, किसी ऐसी अन्य पंचायत के सदस्य के या पदधारी के पद से भी तत्काल निलम्बित हो जाएगा जिसका कि बह सदस्य या पदधारी है। ऐसा व्यक्ति, अपने निलम्बन के दौरान, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन **[***]** के लिये भी निरर्हित होगा।

40. पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना --- (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगा --

(क) यदि वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या

(ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाए ।

स्पष्टीकरण --- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "अवचार" के अन्तर्गत है ---

(क) ऐसा कोई कार्य जिसका ---

(एक) भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता पर, या

(दो) राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो,

(तीन) स्त्रियों के सम्मान पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा;

(ग) पंचायत के किसी पदधारी द्वारा पंचायत में अपने किसी नातेदार के लिये नियोजन प्राप्त करने के लिये अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रयोग करना या किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिये कोई कार्रवाई करना जैसे कि किसी प्रकार का कोई पट्टा देना, उनके माध्यम से पंचायत में किसी कार्य को करवाना।

परन्तु यह और कि जांच में अंतिम आदेश संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर पारित किया जाएगा और जहां लम्बित प्रकरण 90 दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहां विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों से सूचित करेगा और जांच के निपटारे के लिए समय में वृद्धि करने का अनुरोध करेगा किन्तु समय में ऐसी वृद्धि 30 दिन से अधिक नहीं होगी।]

स्पष्टीकरण --- इस खण्ड के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति "नातेदार" से अभिप्रेत है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सास, श्वसुर, साला/बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्र-वधु।]

(2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है । ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन [***] के लिये भी छह वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित हो जाएगा ।

41. एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन --- (1) कोई ऐसा व्यक्ति जो पंचायतों के एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हो जाता है तो उस तारीख से, जिसको कि वह निर्वाचित हुआ है या यदि वह भिन्न-भिन्न तारीखों को निर्वाचित हुआ है तो वैसी पश्चात्वर्ती तारीखों से 10 दिन के भीतर विहित

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

प्राधिकारी को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना परिदत्त करके यह प्रज्ञापित कर सकेगा कि वह ऐसी पंचायतों में से किस पंचायत में पदधारी के रूप में सेवा करने की इच्छा करता है और तदुपरि, ऐसी अन्य पंचायतों में से जिनमें वह सेवा करने की इच्छा नहीं करता है, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(2) उपर्युक्त कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना के व्यतिक्रम के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उतने पदों में से केवल एष्क पद के लिये अधिमान के निम्नलिखित क्रम में विकल्प ले लिया है ---

(क) जिला पंचायत का सदस्य,
(ख) जनपद पंचायत का सदस्य,
(ग) ग्राम पंचायत का सरपंच,
(घ) ग्राम पंचायत का पंच:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति सूचना परिदत्त करने के पूर्व किसी पंचायत के सम्मिलन में हाजिर हुआ है, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने उक्त पंचायत में पद के लिये विकल्प ले लिया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रज्ञापना अंतिम तथा अप्रतिसंहणीय समझी जायेगी।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति, परिणाम की घोषणा की तारीख को निर्वाचित हुआ समझा जायेगा।

अध्याय 4

निर्वाचन का संचालन

MAP IT (MP Code)

42. राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां --- पंचायतों के लिये कराये जाने वाले समस्त निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की समस्त शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी ।

www.code.mp.gov.in

42 -क. अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को नियुक्त करने और उनके कर्त्तव्य और कृत्यों को समनुदेशित करने की शक्ति --- (1) धारा 42 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से पंचायत के निर्वाचन का संचालन करने के लिये अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियो और कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को ऐसे कर्तव्य और कृत्य समनुदेशित क्त सकेगा और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को ऐसी शक्तियां और ऐसे क्षेत्रो के सम्बन्ध में जैसे कि वह आवश्यक समझे या निर्वाचनों के संचालन और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयो के सम्बन्ध में उचित समझे, निहित कर सकेगा।]

43. नियम बनाने की शक्ति --- राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और पंचायतो के सभी निर्वाचनो का संचालन करने के लिये नियम बनाएगी ।

अध्याय 5

पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया

44. सम्मिलन की प्रक्रिया --- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पंचायत के सम्मिलन तथा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(2) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हो या नही, पंचायतो के सम्मिलन में मत देने का अधिकार होगा।

(3) किसी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, तत्समय सम्बन्धित पंचायत गठित करने वाले सदस्यों के एक तिहाई से होगी और ग्राम पंचायत के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति तत्समय सम्बन्धित पंचायत गठित करने वाले सदस्यो के आधे से होगी] यदि सम्मिलन मे उपस्थित सदस्यो से गणपूर्ति न हो तो पीठासीन प्राधिकारी सम्मिलन को ऐसी तारीख और समय तक के लिये स्थगित करेगा जैसा कि उसके द्वारा नियत किया जाए। इस प्रकार नियत किये गये सम्मिलन की सूचना पंचायत के कार्यालय में चिपका दी जाएगी। इस प्रकार स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और कोई नया विषय सम्मिलन के समक्ष विचार के लिये नहीं लाया जायेगा।

(4) अध्यक्ष या सरपंच, यथास्थिति जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत का सम्मिलन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बुलाएगा, यदि अध्यक्ष या सरपंच किसी मास में सम्मिलन बुलाने में असफल रहता है तो यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ग्राम पंचायत का सचिव, विगत सम्मिलन की तारीख के पश्चात् 25 (पच्चीस) दिन का अवसान होते ही सम्बन्धित पंचायत के सम्मिलन की सूचना जारी करेगा।

(5) ग्राम पंचायत के विगत सम्मिलन तथा चालू सम्मिलन के बीच की कालावधि के आय और व्यय की रिपोर्ट और साथ ही साथ चालू वित्तीय वर्ष में चालू सम्मिलन तक की संचयी आय और व्यय की रिपोर्ट किन्हीं अन्य विषयों के साथ-साथ ग्राम पंचायत के सचित द्वारा ग्राम पंचायत के सामने रखी जायेगी और ऐसी रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा की जाएगी। जनपद पंचायत और जिला पंचायत की दशा में ऐसी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उसके सम्मिलन में तीन मास में एक बार रखी जाएगी। रिपोर्ट ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) यदि पंचायत के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य, पंचायत के विशेष सम्मिलन के लिये लिखित अध्यपेक्षा करते हैं तो यथास्थिति, अध्यक्ष या सरपंच ऐसा सम्मिलन ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के सात दिन के भीतर बुलाएगा। यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या सरपंच ऐसी अध्यपेक्षा पर सम्मिलन बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य, जिन्होने विशेष सम्मिलन के लिये अध्यपेक्षा की है, स्वयं ही सम्मिलन बुला सकेंगे और तदुपरि यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव] सम्मिलन की सूचना जारी करेगा ।

(7) यदि यथास्थिति, **[***]** अध्यक्ष या सरपंच, उपधारा (4) या (6) के अनुसार कार्य करने में कम से कम तीन अवसरों पर असफल रहता है तो वह धारा 40 के अधीन उसके पद से हटा दिये जाने के

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

दायित्वाधीन होगा और धारा 40 के उपबंध उसे लागू होगे जिसे इस प्रकार हटाया गया है।

45. पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विषयों पर पुनर्विचार --- पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटा दिये गये किसी विषय पर उसके द्वारा छह मास के भीरत तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की, जो मत देने के लिये हकदार हैं, अभिलिखित सम्मति उसके सम्बन्ध में अभिप्राप्त न कर ली गई है या जब तक कि विहित प्राधिकारी ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश न दिये हों।

अधीनस्थ अभिकरण

46. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां --- (1) ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये, तीन से अनधिक स्थायी समितियाँ गठित कर सकेगी और ऐसी समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाए। ये समितियाँ ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होंगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, एक समय में, दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा ।

(3) स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और स्थायी समिति के काम- काज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

47. जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां --- (1) प्रत्येक जनपद पंचायत और प्रत्येक जिला पंचायत अपने [3][निर्वाचित सदस्यों] में से निम्नलिखित स्थायी समितियाँ गठित करेगी, अर्थात् ---

MAP IT (MP Code)

(क) सामान्य प्रशासन समिति --जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थापना और सेवाओं, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, बजट लेखे, कराधान, और अन्य वित्तीय मामलों तथा उन विषयों से, जो किसी अन्य समिति को आवंटित कृत्यों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सम्बन्धित समस्त विषयों के लियें;

www.code.mp.gov.in

(ख) कृमि समिति --- कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, कृष्यकरण जिसमें मृदा संरक्षण और समोच्यबंधान (कंटूर कंडिंग) सम्मिलित हैं, के लिये और मत्स्यपालन, कम्पोष्ट खाद बनाने बीज वितरण और कृषि एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित अन्य विषयों के लिये;

(ग) शिक्षा समिति --- शिक्षा के लिये जिसमें प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है, नि:शक्तों तथा निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा भूकम्प, ओला वृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत के लिए और मद्यत्याग या मद्यनिषेध, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के लिये;

(घ) संचार तथा संकर्म समिति --- संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण जलप्रदाय जल निकास तथा अन्य लोक संकर्मों के लिये;

(ङ) सहकारिता और उद्योग समिति --- सहकारिता, मितव्ययता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिये;

(च) स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति --- लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी, ग्रामीण जल प्रदाय तथा जल निकास के लिये।

(छ) वन समिति --- सामाजिक वानिकी, एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यान, लपु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रमों के लिए।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त, जनपद पंचायत या जिला पंचायत बिहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं ऐसे अन्य विषयों के लिये, जो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, एक या अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी।

(2-क) उपधारा 1) या उपधारा (2) के अधीन किसी समिति को सौपे गये विषय को जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी अन्य ऐसी समिति को पुन: आवंटित कर सकेगी या किसी ऐसी समिति को कोई ऐसा विषय सौंप सकेगी जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है।]

(3) सामान्य प्रशासन समिति में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तथा उपधारा 2) के अधीन गठित समस्त स्थायी समितियों के सभापति होगे।

(4) सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम पांच सदस्य होगे जो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से विहित रीति में, निर्वाचित किये जाएंगे:

परन्तु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर मकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञान है, इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि शिक्षा समिति के सदस्यों में क्य से क्य एक महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होगा।

[..........]

(4 - क) (क) विधान सभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है उस पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा;

(ख) संसद का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है उस पंचायत में अपनी पसन्द की किन्हीं भी दो समितियों का पदेन सदस्य होगा; और

(ग) जिला पंचायत की प्रत्येक समिति, दो से अनधिक ऐसे विधानसभा सदस्यों को जो उस पंचायत के सदस्य हैं, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहयोजित करेगी कि विधान सभा का कोई भी सदस्य दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा ।

(5) सामान्य प्रशासन समिति तथा शिक्षा समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति अपने निर्वाचित सदस्यों में से सभापति का निर्वाचन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में करेगी जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु - -

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(एक) यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा;

(दो) यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा; और

(तीन) यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उस समिति से भिन्न किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसका कि वह इस परन्तुक के खण्ड (एक) तथा (दो) के फलस्वरूप सभापति है ।

(6) प्रत्येक समिति, उसे सौपे गये विषयों के सम्बन्ध में, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा किन्हीं ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो विहित किये जाएं ।

(7) कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में, तीन से अधिक ऐसी समितियों का, जो सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न हों, सदस्य नहीं होगा।

47 - क. त्यागपत्र --- सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य तथा सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति से भिन्न किसी स्थायी समिति का सभापति अपना त्यागपत्र व्यक्तिशः यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष को निविदत्त करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावशील होगा।

47 - ख. सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधिमान्यता के सम्बन्ध में विवाद --- (1) निर्वाचन विवादों से सम्बन्धित धारा 122 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध धारा 46 और 47 के अधीन सदस्य या सभापति के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगे।

(2) ऐसे निर्वाचन विवादों से सम्बन्धित समस्त विधिक कार्रवाइयाँ जो राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं, धारा 122 के अधीन अधिकारिता रखने वाले विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अंतरित हो जाएंगी।]

48. सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य --- सरपंच तथा उपसरपंच और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे मूल्यों का पालन करेगें जो विहित किये जाएं।

अध्याय 6

पंचायतों के कृत्य

49. ग्राम पंचायत के कृत्य --- ग्राम पंचायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह, जहां तक ग्राम पंचायत निधि में गुंजाइश हो, अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित कृत्य करें ---

(1) से (17) लुप्त

(18) सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना और प्रबन्ध और विनियमन

(19) से (29) लुप्त

परन्तु जहां ऐसे कोई कृत्य ग्राम पंचायत को सौंपे गये हैं, बही बह यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अधिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगी और उस प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक निधियां और अन्य सहायता की व्यवस्था यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी।

49 - क्र. ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य --- इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, तथा ऐसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये जाएं, अध्यधीन रहते हुए ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगे ---

(एक) पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और उसे जनपद पंचायत की योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विहित समय के भीतर जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना;

(दो) से चार लुप्त]

(पांच) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई हों, ऐसी स्कीमों, संकर्मो, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना;

(छः) से (आठ) लुप्त]

(नौ) धारा 61 - क में यथापरिभाषित 'ग्राम पंचायत क्षेत्र' के भीतर आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिये आवेदनों पर विचार करना;

(दस) से (चौदह) लुप्त]

(पन्द्रह) स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और ऐसी योजनाओं के लिये व्ययों पर नियंत्रण रखना ।

(सोलह) ग्राम सभा द्वारा गठित की गई समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना, मूल्यांकन करना और उनको मानीटर करना ।

(सत्रह) ग्राम सभा को समनुदेशित कृत्यों से संबंधित संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा को पुन: आवंटित करना।]

50 जनपद पंचायत के कृत्य --- (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं, अध्यधीन रहते हुए जनपद पंचायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जहां तक जनपद पंचायत निधि में गुंजाइश हो, खंड में निम्नलिखित कार्य के लिये युक्तियुक्त व्यवस्था करें ---

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला युवा तथा बाल

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

कल्याण, निशक्तों तथा निराश्रितों का कल्याण और पिछड़े वर्गो का कल्याण, परिवार नियोजन तथा खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम;

(ख) आग, बाढ़, या, भूकम्प, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना;

(ग) स्थानीय तीर्थ-यात्राओं तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में व्यवस्था करना;

(घ) सार्ववनिक नौधाटों का प्रबन्ध करना;

(ङ) सार्वजनिक बाजारों, सार्वजनिक मेलों तथा प्रदर्शनियों का प्रबन्ध करना; और

(च) राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना ।

(1-क) इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी नीतियों, निदेशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं अध्यधीन रहते हुए जनपद पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगे---

(एक) इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपी गई तथा राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उसे सौंपी गई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजना तैयार करना और उसे जिला पंचायत की योजना में सम्मिक्ति किये जाने के लिये विहित समय के भीतर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(दो) समस्त ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना और समेकित योजना को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(तीन) जनपद पंचायत निधि में से हाथ में लिये जाने वाले संकर्मो और विकास स्कीमों की योजना तैयार करना;

(चार) जनपद पंचायतों के भीतर की क्षेत्रीय योजना तथा अवसंरचनात्मक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास को हाथ में लेना;

(पांच) पंचायत निधि में से विकास स्कीमों के संकर्मो को मंजूर करना, उनका पर्यवेक्षण करना, मानीटर करना और प्रबन्ध करना तथा इस प्रयोजन के लिये पंचायत निधि में से खर्च उपगत करना;

(छह) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा सौंपी गई हों ऐसी स्कीमों, संक्यो, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना;

(सात) ग्राम पंचायत के माध्यम से या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे संकर्मो, स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई हैं, लागू करना, निष्पादित करना, पर्यवेक्षण करना, मानीटर करना तथा प्रबंध करना;

(आठ) जिला पंचायतों को ऐसे संक्यौ या विकास स्कीमो के सम्बन्ध में विचार करने के लिये, जिन्हें जिला

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

पंचायत द्वारा खण्ड में प्रारम्भ किया जा सकता है, सिफारिश करना और वह सीमा उपदर्शित करना जहां तक कि ऐसे संकर्मों या स्कीमों के लिये स्थानीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं;

(नौ) खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका मार्गदर्शन करना,

(दस) ऐसी योजनाओ, परियोजनाओं, स्कीमो या अन्य संकर्मों का जो खण्ड में की दो या अधिक ग्राम पंचायतों के साझे के हों, निष्पादन सुनिश्चित करना,

(ग्यारह) अंतरित की गई स्कीमों, सकर्मों तथा परियोजनाओं के सम्बन्ध में, केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों को यथास्थिति, केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा नियत किये गये मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायत को पुन: आवंटित करना;

(बारह) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसको सीपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना;

(तेरह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग मना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(2) जनपद पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर यथास्थिति सामुदायिक विकास खंड या आदिम जाति विकास खंड के प्रशासन का नियत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और ऐसे खण्डों को राज्य सरकार द्वारा सौपे गये कृत्य तथा सौंपी गई स्कीमों का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाएं ।

MAP IT (MP Code)

51. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का [जनपद पंचायत या जिला पंचायत] को सौंपा जाना -- (1) राज्य सरकार ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में, जिस पर राज्य सरकार का कार्यपालिक प्राधिकार है या ऐसे कृत्यों के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गये हैं, कोई कृत्य [1][जनपद पंचायत या जिला पंचायत] को सौंप सकेगी और [1][जनपद पंचायत या जिला पंचायत] ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिये बाध्य होगी, ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिये उसे आवश्यक शक्तियां होगी।

www.code.mp.gov.in

(2) जहां, जनपद पंचायत या जिला पंचायत] को उपधारा (1) के अधीन कृत्य सौंपे जाते हैं, वहॉ [1][जनपद पंचायत या जिला पंचायत] उन कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत या जिला पंचायत को ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो इस धारा के अधीन जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझी जाए।

(4) जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इस धारा के अधीन उसे सौंपे गये उन कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन रहेगी और ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो समय-समय पर उसे दिये जाएं।

52. जिला पंचायत के कृत्य -- (1) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी नीतियों, निदेशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये जायें अध्यधीन रहते हुए जिला पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगें ---

(एक) जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजनाएं तैयार करना और पंचायतों को ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(दो) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई स्कीमों के और उन स्कीमों के, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी गई हैं, सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना;

(तीन) जनपद पंचायतों के तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मानीटर करना और उनका मार्गदशन करना;

(चार) जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करना;

(पॉच) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई हैं, ऐसी स्कीमों, संकर्मों, परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना;

(छह) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अंतरित किये गये या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना;

(सात) अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियत मानदण्डों के अनुसार जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुन: आवंटित करना;

(आठ) उन अनुदानों के प्रस्तावों को, जो जनपद पंचायत से किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिये प्राप्त हुए है, समन्वित करना और उन्हें राज्य सरकार को अग्रेषित करना;

(नौ) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों तथा अन्य संकर्मों का, जो दो या अधिक जनपद पंचायतों के साझे की हों, निष्पादन सुनिश्चित करना,

(दस) ग्राम पंचायत के माध्यम से या निष्पादन एजेन्सियों के माध्यम से संकर्मों, स्कीमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई हैं, उनकी निधि के स्त्रोतो को विचार मे लाए बिना निष्पादित करना;

(ग्यारह) विकास सम्बन्धी क्रियाक्कापों, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्तों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना;

(बारह) पंचायतों में नियुक्त किये गये और पदस्थ किये गये कर्मचारियों का, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतो को स्थानान्तरित किया गया कर्मचारीवृंद आता है, प्रशासन करना तथा उनका नियंत्रण

MAPIT (MP Code) www.code.mp.gov.in

करना;

स्पष्टीकरण --- राज्य सरकार द्वारा स्थानातीरत किये गये कर्मचारीवृंद के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना आता है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर विशेष या साधारण आदेश द्वारा अवधारित किया जाए;

(तेरह) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार उसको सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना;

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यो का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उसे सौंपे जाएं ।]

(2) (क) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमाक 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिले में का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले की जिला पंचायत में विलीन हुआ समझा जाएगा और उक्त अभिकरण की समस्त आस्तियां तथा दायित्व और उसके कृत्य सम्बन्धित जिला पंचायत को अन्तरित हो जाएंगे और उसमे निहित रहेगें और उनका निर्वहन तथा अनुपालन सम्बन्धित जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

(ख) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गये किन्हीं नियमो या उपबिधियो में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समस्त स्थायी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं वही होगी जो कि विद्यमान वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाएं हैं।]

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

53. पंचायतों के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्ति --- (1) (क) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पंचायतों को समुचित स्तर पर ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार होगा जो कि अनुसूची-4 में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और स्कीमों का क्रियान्वयन तथा धारा 49, 49क-, 50, 52 और अध्याय 14-क के अधीन उन्हें सौंपे गये अन्य कर्त्तव्य और कृत्य आते हैं, स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिये उन्हें समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो।

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पंचायतों को स्कीमों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के किसी काडर या किन्हीं काडरों के चयन, भर्ती, नियुक्ति तथा प्रबन्ध हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारीवृन्द सम्बन्धी ढांचे (स्टाफिंग पेटर्न) और ऐसी अन्य शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, समुचित स्तर पर शक्तियाँ तथा जिम्मेदारियों प्रदान कर सकेगी।]

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, पंचायतों के किन्हीं कृत्यों में वृद्धि कर सकेगी या ऐसी पंचायतों को सौंपे गये कृत्यों तथा कर्त्तव्यों को वापिस ले सकेगी । जब राज्य सरकार पंचायत को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों के निष्पादन को अपने हाथ में ले लेती है तो पंचायत ऐसे कृत्यों के लिये उस समय तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार ऐसे कृत्य पंचायत को पुन: न सौंप दे ।

पंचायतों की शक्तियां

54. सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधाएं और सुरक्षा बाबत् ग्राम पंचायत की शक्तियां --- ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाए, ग्राम पंचायत को ---

(एक) घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार के विनियमन करने;

(दो) संरचनाओ तथा वृक्षों को हटाने;

(तीन) स्वच्छता, सफाई, जलनिकास, जलसंकर्मों, जलप्रदाय के स्त्रोतों का अनुरक्षण करने;

(चार) जल के उपयोग का विनियमन करने;

(पांच) पशुवधों का विनियमन करने;

(छह) कर्मशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का विनियमन करने,

(सात) पर्यावरणीय नियंत्रण सुनिश्चित करने;

(आठ) ऐसे अन्य कृत्य करने, जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन आवश्यक हैं, की शक्ति होगी।

55. भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण --- (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना और इस अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में बनाई गई उपविधियों के अनुसार के सिबाय, किसी भवन का परिनिर्माण नही करेगा या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा या किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं करेगा। यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करने की संसूचना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी जाती है तो यह उपधारित किया जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है।

(2) यदि कोई व्यक्ति, ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना, और किन्हीं ऐसी शर्तो के, जिनके अधीन अनुज्ञा दी गई है, प्रतिकूल, किसी भवन का परिनिर्माण करता है, उसमे परिवर्तन अथवा परिवर्धन करता है, या उसका पुनर्निर्माण करता है, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को रोक दे और सूचना मे विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को परिवर्तित कर दे या गिरा दे, जैसा कि वह लोक हित में आवश्यक समझे।

(3) यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा उपधारा (2) के अधीन तामील की गई सूचना में अन्तर्विष्ट निर्देशों का पालन ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं करता है तो ग्राम पंचायत स्वयं ऐसी कार्यवाही जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाने के लिये अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर कर सकेगी और ऐसे व्यय का संदाय उस व्यक्ति द्वारा उस तारीख से, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा मांग सूचना तामील की गई है, तीस दिन के भीतर किया जाएगा । विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर व्ययो का संदाय न किये जाने पर, उनकी वफ्ती भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जावेगी ।

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(3-क) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो कोई इस धारा के किन्हीं उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गये नियमों या उपविधियों का या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता है या उपरोक्त में से किन्हीं उपबंधों के अधीन दिये गये किन्हीं विधिपूर्ण निदेशों या अध्यपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो वह ग्राम पंचायत द्वारा या इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर वह साधारण कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।]

(4) उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत के किसी निदेश या सूचना के विरुद्ध अपील विहित प्राधिकारी को की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी का ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा।

56. सार्वजनिक मार्गो तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अधिक्रमण --- (1) कोई भी जो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थलों पर या ऐसे मार्ग पर स्थित किसी नाली पर---

(क) किसी दिवाल, बाड़, बंगले, खम्भे, स्टाल, बरामदे, चबूतरे, कुर्सी, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना का निर्माण करके या बनाकर; या

(ख) ग्राम पंचायत की लिखित, अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तो के प्रतिकूल कोई बरामदा, छज्जा, कमरा या अन्य किसी संरचना का निर्माण इस प्रकार करके कि जिससे वह किसी सार्वजनिक सड़क पर या ऐसी सड़क पर स्थित किसी नाली पर आगे निकला हुआ प्रलंबित हो; या

(ग) किसी स्थल से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री आपराधिक रूप से हटाकर, या

(घ) किसी चारागाह या अन्य भूमि में अप्राधिकृत रूप से खेती करके कोई रुकावट, बाधा या अधिक्रमण करेगा,

जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध के मामले में ऐसे और जुर्माने से जो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अधिक्रमण, बाधा चालू रहती है या आगे निकला हुआ भाग बना रहता है, बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत को ऐसी किसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने और चारागाह या किसी अन्य भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, अप्राधिकृत रूप से उगाई गई फसल को हटाने की शक्ति होगी और उसे किसी ऐसे खुले स्थल में कि, जो निजी सम्पत्ति न हो चाहे वह स्थल ग्राम पंचायत में निहित हो या न हो, उसी प्रकार की किसी अप्राधिकृत बाधा या अधिक्रमण या आगे निकले हुए भाग को हटाने के लिये भी वैसी ही शक्ति होगी, और इस प्रकार हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसने उक्त अधिक्रमण किया है और रेझे व्ययों का संदाय न किये जाने पर ऐसा व्यय भू- राजस्व के बकाया के तौर पर उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा:

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

परन्तु उपधारा (1) तथा इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि ग्राम पंचायत, राज्य सरकार में निहित किसी भूमि पर से किसी रुकावट, बाधा या अधिक्रमण को हटाने के लिये संकल्प करती है, तो वह ऐसी भूमि से ऐसी स्कावट, बाधा या अधिक्रमण को हटाने के लिये तहसीलदार को संसूचित क्त सकेगी और तहसीलदार ऐसा करने के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करेगा ।

(3) ग्राम पंचायत, इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी त्यौहारों तथा उत्सवों के अवसरों पर, अधिक से अधिक दस दिन के लिये किसी सार्वजनिक स्थान का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से अधिभोग किये जाने या उस पर कोई परिनिर्माण किये जाने या आगे निकला हुआ भाग निर्मित करने की अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपबिधियों के अनुसार दे सकेगी ।

(4) ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है ।

56 - क धारा 55 तथा 56 के अधीन ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रत्यायोजन --- विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के मामले में धारा 55 तथा 56 के अधीन ग्राम पंचायत की शक्तियाँ विकास आयुक्त के प्रत्यायोजित की जाएंगी ।

57. मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति --- ग्राम पंचायत किसी मार्ग का नामकरण करवा सकेगी तथा किसी भवन पर क्रमांक भी डलवा सकेगी तथा समय-समय पर मार्गों के ऐसे नाम तथा भवनों के क्रमांक में परिवर्तन भी करवा सकेगी ।

MAP IT (MP Code)

58. बाजारों या मेलों का विनियमन --- (1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम पंचायत के अलावा कोई व्यक्ति, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजार या मेले के प्रयोजन के लिये कोई स्थान न तो नियत करेगा न स्थापित करेगा और न ही उपयोग करेगा:

www.code.mp.gov.in

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी बाजार या मेले को सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला घोषित कर सकेगी और इस प्रकार घोषित यथास्थिति सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला जनपद पंचायत में निहित होगा ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बाजार या मेले के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

59. सड़कों को घुमाव देने, मोहने, चालू न रखने या बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति --- जनपद पंचायत विहित प्राधिकारी की मंजूरी से, किसी ऐसी सड़क को, जो जनपद पंचायत के नियंत्रण तथा प्रशासन के अधीन है या उसमें निहित है, धुमाव दे सकेगी, मोड़ सकेगी, चालू नहीं रहने दे सकेगी या उसे स्थायी रूप से बंद कर सकेगी ।

60. जनपद पंचायत में निहित सडकों और भूमियों पर अधिक्रमण --- (1) जो कोई, जनपद पंचायत में निहित किसी सड़क, मार्ग, भूमि, भवन या संरचना पर कोई परिनिर्माण करेगा यह अधिक्रमण करेगा या कोई

बाधा खड़ी करेगा, दोषसिद्धि पर, जुमीन से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी बाधा या अधिक्रमण हटाने की शक्ति होगी और इस प्रकार हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने उक्त बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है तथा उसके द्वारा संदाय न किया जाने पर उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा:

परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के पूर्व, लिखित सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से, जिसने ऐसी बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा ले या इस संबंध में कारण दर्शित करे कि उसे क्यों न हटा दिया जाए ।

(3) इस धारा में की कोई बात, किसी जनपद पंचायत को त्यौहारों तथा अवसरों पर ऐसी कालावधि के लिये, जो वह उचित समझे, उपधारा (1) में उल्लिखित स्थानों का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से अधिभोग करने या उस पर कोई परिनिर्माण करने की अनुशा देने से निवारित नहीं करेगा ।

61. समझौता करने की शक्ति --- पंचायत, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, किसी ऐसे वाद के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया गया है, या किसी ऐसे दावे या मांग के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा की गई किसी संविदा से उद्भूत है, समझौता ऐसे निबंधनों पर कर सकेगी जो वह उचित समझे।

MAP IT (MP Code)

अध्याय 6 - क
कॉलोनी निर्माण

61 क. परिभाषा -- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये "ग्राम पंचायत क्षेत्र" से अभिप्रेत हे ऐसा क्षेत्र जो-

www.code.mp.gov.in

(एक) मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित किये गये किसी नगरपालिक निगम की सीमाओं से सोलह किलोमीटर;

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित की गई किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की सीमाओं से आठ किलोमीटर;

(तीन) उपरोक्त (एक) तथा (दो) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से तीन किलोमीटर;

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 47) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये या घोषित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग या मध्यप्रदेश हाईवे एक्ट, 1936 (क्रमांक 34 सन् 1936) की धारा 2 के अधीन अधिसूचित किये गये लोकमार्ग के पार्श्व से एक किलोमीटर, की दूरी के भीतर ग्राम पंचायत में स्थित है ।

61-ख. कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण -- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भूमि को भू- खण्डों में विभाजित करने के प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र का विकास करते हुए या विकास न करते हुए कॉलोनी की स्थापना हाथ में लेने का आशय रखता है, ऐसे व्यक्तियों को, जो इन भू- खण्डों पर आवासीय, गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखते हैं, क्रमशः या एक साथ अन्तरण करता है या अन्तरण करने का करार करता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा कॉलोनी की स्थापना के समर्थन में सम्यक रूप से पारित किये गये संकल्प की प्रति के साथ उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) को आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए तीस दिन के भीतर या तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र जारी करेगा या जारी करने से इन्कार करेगा

परन्तु यदि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार करता है तो इन्कार करने के कारण आवेदक को सूचित किए जाएंगे।

(3) राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र जारी किये जाने के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी जिनमें आवेदन का प्ररूप, रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस की रकम तथा अन्य निबन्धन और शर्तें विहित की जाएंगी।

61 -ग. कालोनियों का विकास -- इस अधिनियम तथा इस निमित्त बनाये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनियों का विकास हाथ में लेने के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र कॉलोनी बनाने वाले को हकदार बनायेगा।

61 -घ. अवैध कॉलोनी निर्माण के लिये दण्ड -- (1) कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, वह भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है।

(2) कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, जो कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से, अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को, इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गये नियमों में अनुध्यात अपेक्षाओं को भंग करके भू-खण्डों में विभाजित करता है, बह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है।

(3) जो कोई, अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो कम से कम दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(4) जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में कोई भवन सन्निर्मित करता है, वह अवैध सन्निर्माण का अपराध करता है।

(5) जो कोई अवैध सन्निर्माण का अपराध मेगा, वह सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, वो कम से कम एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

61 -ड़. अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिये दण्ड -- जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के या अवैध सन्निर्माण के किसी क्षेत्र मे -

(एक) भवन के सन्निर्माण के लिये अभिन्यास (ले-आउट) या नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी होते हुए ऐसा अभिन्यास या नक्शा मंजूर या अनुमोदित करेगा, या

(दो) ऐसा अधिकारी होते हुए जिसका प्राथमिक कर्त्तव्य ऐसा करना हो, ऐसे क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन की या किसी भवन के अवैध सन्निर्माण की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को करने का जानबूझकर लोप करेगा; या

(तीन) ऐसा अधिकारी या ऐसा कर्मचारी होते हुए वो ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के या भवन के अवैध सन्निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने का उत्तरदायी है, कार्रवाई करने में असफल रहता है; या

(चार) विद्युत या जल प्रदाय संयोजन (कनेक्शन) मंजूर करने के लिये सक्षम अधिकारी या प्राधिकर होते हुए ऐसे किसी क्षेत्र में के किसी भवन के सम्बन्ध में ऐसे संयोजन की मंजूरी देगा; या

(पांच) पूर्वोक्त अधिकारियों पर, ऐसी मंजूरी देने के लिये या भूमि के ऐसे अवैध व्यपवर्तन की या क्षेत्र में किसी भवन के सन्निर्माण की रिपोर्ट करने का लोप करने के लिये, अवैध रूप से असर डालेगा, वह सादा कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

परन्तु खण्ड (चार) में अन्तर्विष्ट कोई बात उन मामलो में लागू नही होगी जहां कलेक्टर राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रमाणित करता है कि अवैध व्यपवर्तन या अवैध कॉलोनी निर्माण के क्षेत्र में भबन के सम्बन्ध में विद्युत तथा जल प्रदाय का संयोजन देने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है।

61 -च. अवैध व्यपवर्तन अए या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी श्रेत्र में के ए-खण्डों के अन्तरण का शून्य होना -- (1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कॉलोनी निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भू-खण्डों का किया गया कोई अन्तरण या अन्तरण का कोई करार शून्य होगा।

(2) विहित प्राधिकारी पक्षकारों को कारण दर्शित करने हेतु सूचना देने के पश्चात् उस भूमि का प्रबन्ध

ग्रहण कर सकेगा, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में योजना बनवाएगा तथा उसे विकसित करवाएगा, और उसके पश्चात् उस भूमि को अधिमान्यत: भू-खण्ड धारकों के बीच ऐसी रीति में और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवंटित करेगा।

(3) शर्तो की पूर्ति हो जाने पर, आवंटिती के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि बे कॉलोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति की ओर से भू-खण्ड का विधिमान्य अन्तरिती है और उस भू-खण्ड के प्रबन्धक के रूप मे विहित प्राधिकारी की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी।

61 -.छ. अवैध कालोनी में अन्तर्ग्रस्त भूमि का समपहरण -- अवैध कॉलोनी निर्माण के अधीन भूमि में कॉलोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति का अधिकार, हक या हित, कॉलोनी निर्माण करने बाले व्यक्ति के धारा 61-ध की उपधारा (3) के अधीन दोषसिद्ध ठहराये जाने पर और उस तारीख से समपहृत हो जाएगा और समस्त विल्लंगमों (इनकम्ब्रेन्सेज़) से मुक्त रूप में ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगा।]

अध्याय 7

पंचायत की निधि और उसकी सम्पत्ति

62. राज्य सरकार कतिपय सम्पत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ऐसी किसी सम्पत्ति को जो राज्य सरकार में निहित हो, यथास्थिति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में निहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन पंचायत में निहित की गई किसी सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण कर सकेगी, ऐसे अंतरण के लिये पंचायत द्वारा संदत्त की गई रकम या पंचायत द्वारा ऐसी सम्पत्ति पर परिनिर्मित किसी भवन या निष्पादित किये गये किसी संकर्म के उस बाजार मूल्य से जो पुनर्ग्रहण की तारीख को हो, से भिन्न कोई प्रतिकर देय नहीं होगा:

परन्तु निहित किये जाने के निबन्धनों तथा उसकी शर्तो के उल्लंघन में निर्मित या परिनिर्मित किये गये भवन, संरचना या संकर्मों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

63. पंचायत को निधियों का समनुदेशन -- राज्य सरकार, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शर्तो और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे, किसी भी पंचायत को राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, पथ कर तथा फीस समनुदेशित कर सकेगी और राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान दे सकेगी।

64. पंचायत को सहायता अनुदान -- राज्य सरकार, पंचायतों को ऐसी सहायता अनुदान देगी जैसा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चित किया जाए ।

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

65. स्थावर सम्पत्ति का अंतरण -- (1) किसी पंचायत में निहित या पंचायत की किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, दान, बंधक या विनिमय द्वारा या तीन वर्ष से अधिक कालावधि के लिये पदटे द्वारा या अन्यथा कोई अंतरण,राज्य सरकार की या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मंजूरी से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

66. पंचायत निधि -- (1) प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी।

(2) पंचायत मे निहित समस्त सम्पत्ति और पंचायत निधि का इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपयोजन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये या साधारणत: पंचायतों के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों के लिये या अन्य व्यय के लिये किया जाएगा जो राज्य सरकार किसी पंचायत के आवदेन पर या अन्यथा लोकहित में अनुमोदित करे। पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उपखजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखी जाएगी।

(3) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिये पंचायत को आवंटित किसी राशि का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिये तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में साधारणत: या विशेषत: जारी करें।

MAP IT (MP Code)

(4) पंचायत निधि में से समस्त रकमें --

(एक) ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से,

www.code.mp.gov.in

(दो) यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले मे मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से, निकाली जाएंगी:

परन्तु जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में समस्त रकमें केवल, वार्षिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था करने के प्रयोजनों हेतु यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जाएंगी :

परन्तु यह और भी कि पंचायत निधि में की समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण से सम्बन्धित जानकारी पंचायत के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी।]

67. संविदा निष्पादित करने का ढंग -- पंचायतों द्वारा संविदाओं को निष्पादित करने का ढंग ऐसा होगा जो विहित किया जाए।

68. सहायता अनुदान देने की शक्ति -- पंचायत, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिये सहायता अनुदान दे सकेगी।

अध्याय 8
पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखे

69. सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति -- (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी ग्राम पंचायत के लिये या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिये एक सचिव नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति, इस धारा के अनुसार सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, उस रूप में कृत्य करता रहेगा :

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार ग्रहण नही करेगा यदि ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, अभिव्यक्ति "नातेदार" का अर्थ है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ससुर, सास, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्रवधु।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक जनपद पंचायत के लिये एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी और एक या उससे अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारियो को भी नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किये जाएं।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक जिला पंचायत के लिये एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियुक्त करेगी और एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्त्तव्यो का पालन करेगा जो उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समनुदेशित किये जाएं।

(4) ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की छुट्टी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु या त्यागपत्र के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति के दौरान, विहित प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा इंतजाम करेगा जैसा वह उचित समझे । कोई व्यक्ति, ऐसे पद पर कार्य करते समय उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी] को प्रदत्त की गई हैं।

(5) ग्राम पंचायत का सचिव, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथास्थिति,

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अभिलेखों को रखने और उनके बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

70. पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक - - (1) प्रत्येक पंचायत धारा 69 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जिन्हें वह अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

(2) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं, भरती की पद्धति, वेतन, छुट्टी, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें जिनमें अनुशासनिक मामले सम्मिलित हैं, ऐसी होंगी, जो विहित की जाए।

71. शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति - - राज्य सरकार अपने ऐसे सेवकों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्ति कर सकेगी । ऐसे प्रतिनियुक्त सेवकों की सेवा शर्ते ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विहित की जाएं ।

72. मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य - ग्राम पंचायत के सचिव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य ऐसे होगें जो विहित किये जाएं।

73. बजट तथा वार्षिक लेखे - - (1) प्रत्येक पंचायत, प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में तक ऐसी तारीख तक, जैसा विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपनी प्राप्तियों तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करेगी।

MAP IT (MP Code)

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये बजट प्राक्कलन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति में जैसा विहित किया जाए, अनुमोदित किये जायेगे ।

www.code.mp.gov.in

(3) पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को विहित रीति में प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय 9
कराधान और दावों की वसूली

74. भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति - - (1) प्रत्येक भू- धारी तथा सरकारी पट्टेदार उसके द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र में धारित भूमि के सम्बन्ध में ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के प्रति रुपया या उसके किसी ऐसे भाग पर जो पचास पैसे से अधिक हो, पचास पैसे की दर से प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिये इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपकर का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) कोई ग्राम सभा विहित रीति में इस प्रभाव का संकल्प पारित करके उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर को, दस रुपये की सीमा तक बढ़ा सकेगी।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन उद्गृहीत किया गया उपकर और धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन

उद्गृहीत किया गया विकास कर उस भू- राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकर या कर के अतिरिक्त होगा जो ऐसी भूमि पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन लगाया गया हो और वह यथाशक्य उसी रीति में देय होगा तथा संगृहीत किया जाएगा जिस रीति में भू- राजस्व देय होता है तथा संगृहीत किया जाता है ।

स्पष्टीकरण - - इस धारा में अभिव्यक्ति "भू- धारी", " सरकारी पट्टेदार", " भू- राजस्व " और " लगान' के वही अर्थ होगें जो मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उनके लिये दिये गये हैं।

75. खण्ड के भीतर सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क - - उन लिखतों पर, जो खण्ड के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान या बंधक से सम्बन्धित हों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क में, ऐसी सम्पत्ति के मूल्य पर या बंधक की दशा में उस रकम पर, जो लिखत द्वारा प्रतिभूत की गई है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी:

परन्तु बंधक के सम्बन्ध में उद्गृहीत किया गया ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उस पर लगाए गये स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसी लिखत के सम्बन्ध में, जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के या उसकेअधीन बनाए गये नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है, कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा]

MAP IT (MP Code)

76. जिला पंचायत राज निधि - - (1) जिला स्तर पर "जिला पंचायत राज निधि" के नाम से एक पृथक निधि (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त निधि" के नाम से निर्दिष्ट है) गठित की जाएगी और उसे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, चलाया जाएगा ।

www.code.mp.gov.in

(2) धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन विकास कर और उसके साथ ऐसे अन्य कर, शुल्क, पथकर, फीस तथा अन्य प्राप्तियां जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं के आगम, उसमें से ऐसे-वसूली प्रभारों की, जैसे कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किएजाएं, कटौती करने के पश्चात् उक्त निधि में जमा किए जाएंगे।

(3) धारा 75 के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आगम प्रथमत: राज्य की संचित निधि में, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, जमा किये जाएंगे और राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर, यदि विधानसभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध किया जाए, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम निकाल सकेगी जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये आगमों के बराबर होगी ।

76-क. रकम का पंचायतों के बीच संवितरण : (1) एवं (2) ***]

(3) किसी जनपद पंचायत क्षेत्र से धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन उगाहा गया विकास कर संबंधित जनपद पंचायत और उस जनपद पंचायत के भीतर की ग्राम पंचायतो को, ऐसे अनुपात में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अंतरित किया जाएगा।

(4) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से संबंधित रकम जनपद पंचायतों को सहायता अनुदान के रूप में, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि इस निमित्त बनाए जाएं, दी जाएगी।

(5) निधि में जमा की गई धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अन्य करों, शुल्कों, पथकरों, फीस तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित रकम पंचायतों के बीच, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए संवितरित की जाएगी।]

77. अन्य कर - - (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तो और अपवादों के जो विहित किये जाएं, अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कर अधिरोपित करेगी।

(2) जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के पूर्व अनुमोदन से जनपद पंचायत, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी।

(3) जनपद पंचायत कृषि भूमि पर विकास कर उद्‌गृहीत कर सकेगी । इस प्रकार उद्‌गृहीत कर उसी रीति में देय होगा जिस रीति में भू- राजस्व देय होता है ।

77 - क. कर अधिरोपित करने की शक्ति - - (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और अपवादों के जो कि विहित किए जाएं अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम सभा अनुसूची 1-क में विनिर्दिष्ट करों को अधिरोपित करेगी।

(2) ग्राम सभा, अनुसूची 2 - क में विनिर्दिष्ट कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी ।]

78. करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति - - राज्य सरकार, धारा 77 के अधीन करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा हिस्सा बांटने का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) किसी निर्धारण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ही ली जाएगी अन्यथा नहीं और किसी व्यक्ति के, उस पर कर-निर्धारण या कर लगाए जाने के दायित्व को इस अधिनियम के या उसकेअधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।

79. कराधान के विरुद्ध अपील - - धारा 77 के अधीन अधिरोपित किसी कर के विरुद्ध अपील विहित प्राधिकारी

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

को ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर की जा सकेगी, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसे प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

80. बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना - - पंचायत, अनुसूची- 3 में विनिर्दिष्ट किसी फीस के संग्रहण का कार्य सार्वजनिक नीलाम द्वारा तथा विहित रीति में ठेके पर दे सकेगी।

81. बकाया की वसूली - - इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या फीस तथा जुर्माने की कोई बकाया या इस अधिनियम के अधीन शोध्य कोई रकम, कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

82. अपवंचन के लिये शास्ति - - जब कोई व्यक्ति किसी कर, फीस, दर या किसी अन्य शोध्य रकम का संदाय करने में चूक करता है तो, वह बकाया की रकम के अतिरिक्त शास्ति के तौर पर पाँच सौ रुपये की या ऐसे कर, फीस, दर की रकम की, या अन्य किसी शोध्य रकम की जो भी उच्चतर हो, दस गुना राशि का संदाय करने के लिये दायी होगा।]

83. करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति - - (1) यदि राज्य सरकार को, उसे की गई शिकायत पर या अन्यथा, यह प्रतीत होता है कि किसी पंचायत द्वारा अधिरोपित किये गये कर का भार करदाताओं पर अत्यधिक है, तो वह पंचायत से इस बारे में रिपोर्ट मांगने के पश्चात् किसी कर को समाप्त कर सकेगी या किसी कार की रकम या दर को निलम्बित या कम कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, पंचायत को उस विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति या किसी भी वर्णन की सम्पत्तियों को किसी कर के संदाय से पूर्णत: या अंशत: छूट ऐसी शर्तों के साथ दे सकेगी जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

84. पंचायतों के कार्य का निरीक्षण - - (1) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, ऐसे निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, किसी पंचायत की कार्यवाहियो का निरीक्षण कर सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, पंचायतों का निरीक्षण करने के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विहित की जायें।

(3) पंचायत के पदधारी और अधिकारी तथा सेवक ऐसी समस्त जानकारी देने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होगें जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी जाए।

85. आदेशों आदि का निष्पादन, निलंबित करने की शक्ति - - (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमें कथित किये जाने वाले कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी

किये गये किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा या किसी पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में, - -

(क) का ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/नहीं की गई है, या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के प्रतिकूल है, या

(ग) ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत्त बने रहने से या ऐसा कार्य किये जाने से - -

(एक) पंचायत में निहित किसी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होना या उसमें निहित किसी सम्पत्ति का नुकसान होना संभाव्य है;

(दो) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

(तीन) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभाव्य है; या

(चार) शांति भंग होना संभाव्य है ।

(2) जब कभी विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह तत्काल और प्रत्येक दशा में आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की एक प्रति और उसके साथ उसके किये जाने के कारणों का विवरण राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नामनिर्दिष्ट किये गये अधिकारी को अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा या उसे पुनरीक्षित कर सकेगा या उसे उपान्तरित कर सकेगा या यह निर्देश दे सकेगा कि वह आदेश उपान्तरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से ऐसी कालावधि के लिये, जैसी वह ठीक समझे, प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश, राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा तब तक पुष्ट, अपास्त, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित पंचायत को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

86. कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मों का निष्पादन करने के लिये आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति - - (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी पंचायत को इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अधिरोपित किसी भी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने या किसी ऐसे संकर्म के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी /सकेगा जिसका उसके द्वारा यथास्थिति पालन या निष्पादन नहीं किया जा रहा है और जिसका पालन या निष्पादन ऐसी पंचायत द्वारा लोकहित में किया जाना राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की राय में आवश्यक है ।

(2) पंचायत, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगी और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को उन निर्देशों को पंचायत के व्यय से, यदि कोई हों, अनुपालन कराने की समस्त शक्तियाँ होंगी, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में वह, उस पंचायत या उसके अधिकारी या सेवक जिसकी शक्तियों प्रयोग में लाई जाती हैं, के समान ही उस अधिनियम के अधीन उसी संरक्षण का तथा उसी सीमा तक हकदार होगा ।

87. व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिये पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति - - (1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पंचायत, इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में बार- बार व्यतिक्रम कर रही है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश का पालन नहीं करती है, तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा ऐसी पंचायत को विघटित कर सकेगा और उसके नए सिरे से गठन के लिये आदेश दे सकेगा ।

MAP IT (MP Code)

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, स्पष्टीकरण मांगने की सूचना यथास्थिति, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सरपंच या अध्यक्ष को सम्बोधित की जाएगी और उसकी तामील धारा 119 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी । सूचना के सम्बन्ध में पंचायत का उत्तर पंचायत के संकल्प द्वारा समर्थित होगा।

www.code.mp.gov.in

(3) उपधारा (1) के अधीन पंचायत के विघटित हो जाने पर निम्नलिखित परिणाम होगे, अर्थात् ---

(क) समस्त पदधारी ऐसे आदेश की तारीख से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) पंचायत की समस्त शक्तियों तथा उसके कर्त्तव्यों का, पंचायत का पुनर्गठन होने तक प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्त करे और जहां व्यक्तियों की कोई समिति इस प्रकार नियुक्त की जाती है, वहां राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी समिति का प्रधान भी नियुक्त करेगा;

(ग) जहां कोई समिति खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त की जाती है, वहां ऐसी समिति का, उसके द्वारा सम्यकरूपेण प्राधिकृत कोई सदस्य, पंचायत की ओर से वाद चला सकेगा या विधिक कार्यवाही संस्थित

कर सकेगा या पंचायत के विरुद्ध चलाये गये किसी बाद या संस्थित किसी विधिक कार्रवाई में प्रतिवाद कर सकेगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो, पंचायत के विघटित रहने की कालावधि के दौरान पंचायत की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है अपनी सेवाओं के लिये संबंधित पंचायत निधि से ऐसा संदाय प्राप्त कर सकेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करें।

(5) उपधारा (1) के अधीन विघटित किसी पंचायत का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन उसके विघटन के छह मास के भीतर किया जाएगा । ऐसी पुनर्गठित पंचायत उस पंचायत की शेष अवधि के लिये कृत्य करेगी:

परन्तु यदि अनवसित कालावधि छह मास से कम है तो इस कालावधि के लिये पंचायत का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

88. पंचायत के कार्यकलापों की जांच --- राज्य सरकार. समय- समय पर, अपने किन्हीं अधिकारियों द्वारा किसी पंचायत की जांच. उससे सम्बन्धित विषयों के बारे में या किसी ऐसे विषय के बारे में, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन, सम्मति या आदेश इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उस्के अधीन अपेक्षित है, करवा सकेगी।

89. हानि, दुरुपयोजन के लिये पंचों आदि का दायित्व --- (1) पंचायत [या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदधारी, अधिकारी या सेवक पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्जय या दुरुपयोंजन के लिये. जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उस कर्त्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से दादी होगा । वह रकम, ऐसी हानिन, दुर्व्यय या दुरुपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिये अपेक्षित है, निहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी

परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) यदि सम्बन्धित व्यक्ति रकम का संदाय नहीं करता है तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी और सम्बन्धित पंचायत [3][या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति] [4][या ग्राम सभा की समिति] की निधि में जमा की जाएगी ।

90. पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद --- (1) दो या अधिक पंचायतों के बीच या पंचायत और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हैं, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, ऐसा विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यदि विवाद पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच है तो राज्य सरकार का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

MAPIT (MP Code)
www.codemp.gov.in

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा पंचायतों के और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच उन विषयों में जिनमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हों, सम्बन्धों का विनियमन कर सकेगी।

91. अपील और पुनरीक्षण --- इस अधिनियम के अधीन पंचायतों के तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेशों या कार्यवाहियों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में होगा जैसा विहित किया जाए।

92. अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति --- (1) जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत [2][या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति] [3][या ग्राम सभा की समिति] का कोई अभिलेख या वस्तुएँ या धन अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है तो वह, लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएं या धन, ऐसे अधिकारी की उस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति को तुरन्त परिदत्त या संदत्त कर दिया जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्देशित किये गये अनुसार अभिलेख या वस्तुएँ परिदत्त नहीं करता है या धन का संदाय नहीं करता या ऐसा करने से इकार करता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे वारंट के साथ, जो ऐसे प्रारूप में होगा, जो विहित किया जाए, सिविल जेल में 30 दिन से अधिक न होने वाली कालावधि के लिये परिरुद्ध रखे जाने के लिये भेज सकेगा।

(3) विहित प्राधिकारी --

MAP IT (MP Code)

(क) कोई ऐसा धन वसूल करने के लिये यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा धन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाए, और

(ख) किसी ऐसे अभिलेख या किन्हीं ऐसी वस्तुओं को वापस करने के लिये तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हों ।

www.code.mp.gov.in

(4) उपधारा (1) या (2) (3) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कारण बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए।

(5) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरम्भ की जाने से छह वर्ष की कालावधि के लिये, किसी पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा।

93. शक्तियों का प्रत्यायोजन --- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन उसे प्रदत्त समस्त या किन्हीं शक्तियों को, नियम बनाने सम्बन्धी शक्तियों के सिवाय, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को या किसी पंचायत को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये साधारण या विशेष आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को विहित कर सकेगी।

94. नियंत्रण की साधारण शक्ति --- इस अधिनियम से या उसके अधीन बनाये गये नियमों से सम्बन्धित समस्त विषयों में वे समस्त अधिकारी, जो इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन कार्य करने के लिये सशक्त हैं उसी प्राधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन होगे जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वे सामान्यत: अपने पद के कृत्यों का पालन करते हैं।

अध्याय 11
नियम और उपविधियाँ

95. नियम बनाने की शक्ति --- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में उन समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे जिनके लिये इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना या उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है।

(3) समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(4) समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

(5) कोई नियम बनाते समय, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो, कर सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, पांच रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

96. उपविधियां --- (1) पंचायत या ग्राम सभा। इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत उपबिधियां बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपविधियां बनाते समय, पंचायत या ग्राम सभा यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग, जुमनि से जो दो सो पचास रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुमाने से, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, पांच रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई उपविधि तब तक प्रवृत्त नहीं होगी जब तक कि विहित प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाए।

(4) उपविधियां बनाने तथा उनके अनुमोदन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

97. आदर्श (मॉडल) उपविधियॉ --- (1) राज्य सरकार, पंचायतों या ग्राम सभा के मार्गदर्शन के लिये समय-समय पर आदर्श उपविधियां बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार किसी पंचायत या ग्राम सभा को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसी आदर्श उपविधियों को इस प्रकार उपांतरित करते हुए, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त हो सके, अंगीकार करें।

(3) यदि पंचायत या ग्राम सभा उपधारा (2) के अधीन निर्देशों का पाल छह माह के भीतर नहीं करती है, तो भारत सरकार ऐसी पंचायत या ग्राम सभा को ऐसी आदर्श उपविधियां लागू कर सकेगी।

(4) धारा 96 की उपधारा (4) के उपबंध इस धारा के अधीन उपविधियों को अंगीकार किये जाने पर उनके लागू किये जाने के सम्बन्ध में लागू होगे ।

अध्याय 12
शास्ति

98. निरर्हित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उप-सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष [***] की हैसियत में कार्य करने के लिये शास्ति ---

1) जो कोई यह जानते हुए कि वह किसी पंचायत के पंच या सदस्य का पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप मे पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है ऐसे पंच या सदस्य की हैमियत से कार्य करेगा दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको वह ऐसे पंच या सदस्य की हैसियत से बैठता है या मत देता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

2) जो कोई यह जानते हुए कि वह सरपंच या उपसरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, का पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप मे ऐसा पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है, उस हैसियत से कार्य करेगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसको वह उस हैसियत में कार्य या कृत्य करेगा, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

3) कोई व्यक्ति, जिसकी पदावधि का अवसान हो गया है या जिसने त्यागपत्र दे दिया है या जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया है या जिसे पंचायत के किसी पद से हटा दिया है, अपने कब्जे या नियंत्रण में के ऐसे किसी अभिलेख, वस्तु या धन या अन्य सम्पति, जो पंचायत में निहित है या पंचायत की है, अपने पदोत्तरवर्त्ती को तत्काल नहीं सौंपेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।]

99. हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिये जाने के लिये शास्तियां --- जो कोई किसी ऐसे मामले में जो पंचायत के विचाराधीन हो हितबद्ध होते हुए उस मामले में मत देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्मान से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

100. किसी सदस्य, पदयारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिये शास्ति --- यदि पंचायत का कोई सदस्य या पदधारी या सेवक पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किये गये किसी नियोजन मे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई वैयक्तिक अंश या हित, विहित

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

प्राधिकारी की मंजूरी या अनुज्ञा के बिना जानते हुए अर्जित काता है, तो उसके बारे मे यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

101. अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध --- कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसे अधिकारी या सेवक ने किसी स्थान, भवन या भूमि पर था उसमें प्रवेश करने की अपनी शक्तियां विधिपूर्वक प्रत्यायोजित की हैं, उस स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की उसकी विधिपूर्वक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 341 के अधीन अपराध किया है।

102. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध --- कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य, पदधारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में या कोई ऐसी बात करोगे मे जिसे करने के लिये वह सशक्त है, बाधा पहुंचाएगा वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित जाएगा।

103. सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिदेय --- कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रदर्शित की गई किसी सूचना को या परिनिर्मित किये गये किसी संकेत या चिढ़ को उस निमित्त किसी प्राधिकार के बिना हटाएगा, विनष्ट करेगा या विरूपित करेगा या अन्य प्रकार से मिटायेगा वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

104. जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिये शास्ति --- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिये अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

105. बोली लगाने का प्रतिषेध --- (1) पंचायत का कोई सदस्य या सेवक या ऐसा कोई अधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करना है, ऐसे विक्रय में बेची जाने वाली किसी सम्पत्ति के लिये प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: बोली नहीं लगाएगा या उसमें कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और यदि वह पंचायत का अधिकारी या सेवक है तो वह सेवा से हटाए जाने का भी दायी होगा।

106. किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया --- यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत की है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिये

दायी होगा और विवाद के मामले में नुकसान का मूल्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसने ऐसी शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और भंग करने पर ऐसे मूल्य का संदाय न किया जाने पर, वह राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

अध्याय 13
प्रकीर्ण

107. सदभावपूर्वक किये गये कार्यो का परित्राण --- किसी पंचायत या ग्राम सभा या उसकी किन्हीं समितियों या उसके किसी पदधारी, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या किसी ऐसी पंचायत या ग्राम सभा उसकी समिति, उसके पदधारी, अधिकारी या सेवक के, निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों या किसी उपविधि के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा है, कोई वाद नहीं चलाया जाएगा।

108. सूचना के अभाव में वाद का वर्जन --- (1) किसी [1][पंचायत या ग्राम सभा] या उसके किसी पदधारी, अधिकारी या सेवक के या इस अधिनियम में वर्णित प्राधिकरियों में से किसी प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे वाद के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन की हो या की जाने के लिये तात्पर्यित है, कोई वाद तब तक, सस्मित नहीं किया जाएगा जब तक, उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का स. 5) की धारा 80 के अधीन सप्यक् रूप से सूचना तामील न कर दी गई हो।

(2) ऐसा प्रत्येक बाद खारिज कर दिया जाएगा. जब तक कि वह अभिकथित वाद हेतु प्रोद्भूत होने की तारीख से छह मास के भीतर संस्थित न किया गया हो।

(3) इस धारा में की कोई भी बात विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का स. 74) की धारा 38 के अधीन संस्थित किये गये किसी वाद को लागू नहीं समझी जाएगी ।

109. सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत या ग्राम सभा के खर्च पर किया जाएगा ---

कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा से, पंचायत या ग्राम सभा के किसी पदधारी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे बाद में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या उपविधियों के अधीन उसके द्वारा की गई किसी बात या किसी कार्यवाही से उद्भूत हुआ हो, प्रतिवाद ऐसे व्यक्ति की ओर से सम्बन्धित पंचायत या ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रतिवाद पर उपगत व्यय का संदाय सम्बन्धित पंचायत या ग्राम सभा की निधि में से किया जाएगा।

110. कर आदि के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही का वर्जन --- (1) किसी मूल्यांकन, निर्धारण या उद्ग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों में उपबंधित रीति से भिन्न किसी रीति में नहीं किए जाएंगे।

(2) नुकसानी के लिये या विनिर्दिष्ट पालन के लिये कोई बाद किसी पंचायत या ग्राम सभा या उसके किसी पदधारी, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध इस आधार पर नहीं चलाया जाएगा कि इस अधिनियम में

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

विनिर्दिष्ट किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया गया है ।

111. पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे --- पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

112. रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे--- पंचायत का कोई कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि ---

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) किसी पदधारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, सहयोजन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

113 भूमि का अर्जन --- (1) जहां इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये कोई भूमि अपेक्षित हो और पंचायत करार द्वारा उसे अर्जित करने में असमर्थ हो, तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत के निवेदन पर और कलेक्टर की सिफारिश पर, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) के उपबन्धों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर का तथा उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत समस्त अन्य प्रभारों का पंचायत द्वारा संदाय कर दिया जाने पर वह भूमि उस पंचायत में निहित हो जाएगी जिसके लिये वह इस प्रकार अर्जित की गई है।

(2) पंचायत, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसी भूमि को, जो उपधारा (1) के अधीन अर्जित की गई है, अंतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस प्रयोजन, जिसके लिये वह अर्जित की गई है, से भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित नहीं करेगी।

114. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी --- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम या उपविधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को इस बात के लिये अपेक्षित नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी सरकार की किसी सम्पत्ति या ऐसी सरकार के अधिभोग में के या नियंत्रणाधीन किसी स्थान के सम्बन्ध में कोई अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करें।

115. पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति --- स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उधारों के लिये जाने से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, कोई पंचायत इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से उधार ले सकेगी:

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (1914 का सं. 9) में या मध्य भारत स्थानीय अधिकारी ऋण विधान संवत 2007 (1950) (क्रमांक 64 सन् 950) में तथा उक्त अधिनियमितियों के अधीन बनाए गये, नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे उधार के सम्बन्ध

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

में लागू नहीं होगी जो सरकार से या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी से लिया गया हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किया गया हो, तथा जिसे राज्य सरकार से अनुदान मिलता हो।

116. वसूल न की जा सकने वालो धनराशियां तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना --- पंचायतो को शोध्य ऐसी धनराशियां जो वसूल न की जा सकती हों तथा ऐसी सामग्री जो उपयोगी न हो, विहित रीति मे बट्टे खाते मे डाल दी जाएगी।

117. सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिबेध --- पंचायत के किसी भी सदस्य को पंचायत द्वारा भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या भत्ता इस सम्बन्ध में बनाए गये नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं ।

118. पंचायत या ग्राम सभा के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा --- इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों कें अध्यधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय करने पर, जो विहित की जाए, [1][पंचायत या ग्राम सभा] तथा उसकी किसी समिति के अभिलेखो का ऐसे व्यक्तियो द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा जो उसकी वांछा करें, और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां ऐसे व्यक्तियों को जो उनके लिये आवेदन में, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जैसा कि विहित की जाए, दी जाएंगी।

119. दस्तावेज आदि तामील करने की पद्धति --- इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम, उपविधि या आदेश के अधीन किसी सूचना या अन्य दस्तावेजों की तामील विहित रीनि में की जाएगी ।

120. अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवेश आदि --- किसी पंचायत या ग्राम सभा के पदाधिकारियों या ऐसी पंचायत या ग्राम सभा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच, ऐसे सहायकों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे, किसी भवन या भूमि में या उस पर पंचायत या ग्राम सभा से सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बन्ध में प्रवेश करे:

परन्तु ऐसे किसी भी भवन या भूमि में जो उस समय अधिभोग में है, तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिभोगियों को चौबीस घंटे की लिखित सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु यह और भी कि मानव निवास के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले भवन की दशा में अधिभोगियों की सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा ।

121. निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन --- इस अधिनियम के अधीन किया गया या किया जाना तात्पर्यित निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित किसी विधि की विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी ।

122. निर्वाचन याचिका --- (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी निर्वाचन [***] को ---

(एक) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के मामले में उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को

(दो) जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और

(तीन) जिला पंचायत के मामले में संभाग आयुक्त को विहित रीति में केवल याचिका पेश करके ही प्रश्नगत

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(1) ऐसी कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जागगी जब तक वह तारीख से, जिसको प्रश्नगत निर्वाचन [***] अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश न की जाए।

(2) ऐसी अर्जी की जांच या उसका निपटारा ऐसी प्रकिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए।

123. ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इंकार करें --- जब इस अधिनियम के अधीन कोई फीस अधिरोपित की गई है या उसे वसूल करने का अधिकार इस अधिनियम के अधीन ठेके पर दे दिया गया है, तो ऐसी फीस का संग्रहण करने के लिये सम्बन्धित पंचायत या ग्राम सभा द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति या पंचायत या ग्राम सभा या ठेकेदार द्वारा इस निमित्त सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति फीस का संग्रहण करने के ठेके की शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उस स्थान से जिसके उपयोग के लिये फीस देय हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को निष्कासित कर सकेगा जो फीस का संदाय करने के लिये दायी है किन्तु उसका संदाय करने से इंकार करता है।

124. स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर पंचायत या ग्राम सभा संकर्मों का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी ---

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा कोई संकर्म निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, और ऐसे संकर्मो के निष्पादन में व्यतिक्रम किया जाता है, तो चाहे ऐसे व्यतिक्रम के लिये किसी शास्ति का उपबंध किया गया हो या न किया गया हो पंचायत या ग्राम सभा ऐसे संकर्म निष्पादन करवा सकेगी, और उसके द्वारा उपगत व्ययों का, जब तक इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, पंचायत या ग्राम सभा को संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा ऐसा संकर्म निष्पादित किया जाना चाहिये था और संदाय करने में व्यतिक्रम जाने की दशा में, वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा ।

125. ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, समामेलन तथा परिवर्तन ---

(1) राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदल सकेगा या किसी ग्राम पंचायत की सीमाओं में किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके सामीप्य में हो, सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो, अपवर्जित करके, परिवर्तित कर सकेगा या दो या अधिक ग्राम पंचायतों को समामेलित कर सकेगा और उसके स्थान पर एक ग्राम पंचायत गठित कर सकेगा या किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र को विभाजित कर सकेगा और उसके स्थान पर दो या अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र गठित कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तक तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस निमित्त कोई प्रस्ताव, सुझाव तथा आक्षेप आमंत्रित करते हुए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित न कर दिया गया हो और आक्षेपों पर विचार न कर लिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी होने पर, राज्यपाल या प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसे पारिणामिक आदेश पारित करेगा जो आवश्यक हों ।

MAP IT (MP Code) www.code.mp.gov.in

126. ग्राम का विस्थापन (डिसईस्टैब्लिशमेंट) --- (1) राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी ग्राम को विस्थापित कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्ताव की ऐसी सूचना जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक आमंत्रित करते हुए विहित रीति से प्रकाशित न कर दी गई हो और प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार न कर लिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जाने पर, राज्यपाल या उनके द्वारा विहित प्राधिकारी ऐसे पारिणामिक आदेश पारित कर सकेंगे, जो आवश्यक हों ।

127. खण्ड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन --- (1) राज्यपाल अधिसूचना किसी खण्ड के मुख्यालय में परिवर्तन या द्वारा किसी खण्ड की सीमाओ मे किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके सामीप्य में है, सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को जो उसमे समाविष्ट है, अपवर्जित करके परिवर्तन कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आशय को सज्ञापित करने वाली ऐसी सूचना, जिसके द्वारा उन व्यक्तियो से, जिनका खण्डों की सीमाओ में किये जाने वाले परिवर्तन से प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप उसमे विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक आमंत्रित करते हुए, विहित रीति में प्रकाशित न कर दी गई हो तथा प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार न कर लिया गया हो:

परन्तु यह और भी कि किसी खण्ड के मुख्यालयों में परिवर्तन सम्बन्धी ऐसी अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जबकि वह खण्ड की सीमाओं के बाहर स्थित उसके मुख्यालय को उस खण्ड की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जारी की गई हो, अन्यथा नहीं ।

MAP IT (MP Code)

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसे पारिणामिक आदेश पारित कर सकेंगे जो आवश्यक हों ।

www.code.mp.gov.in

(3) किसी जिले की सीमाओ के पीरवर्तन होने पर, राज्य सरकार जिला पंचायत के बारे में ऐसे पारिणामिक आदेश पारित कर सकेगी जैसे कि आवश्यक हो ।

128. सरकारी भूमियों का प्रबंध --- पंचायतों को अन्तरित की गई किसी सरकारी भूमि का प्रबंध ऐसी पंचायत या ग्राम सभा द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए।

अध्याय 14
संपरीक्षा

129. पंचायतों की संपरीक्षा --- (1) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक् तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा।

(2) संपरीक्षा संगठन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने बाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे जैसा

(3) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संदाय की जाने वाली संपरीक्षा फीस और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

अध्याय 14 - क
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध

129 - क. परिभाषाएं -- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - -

(क) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिये उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हैं ।

(ख) **"ग्राम"** से अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गाँव या छोटे गांवों का समूह ऐसा होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करता हो ।

129 - ख. ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन --- (1) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

(2) साधारणतया, ग्राम के लिये जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी:

परन्तु ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्रामसभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का अथवा छोटा गांव या छोटे गाँवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगा ।

MAPIT (MP Code) www.code.mp.gov.in

(3) ग्रामसभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश से या ग्राम सभा के कुल पॉच सौ सदस्य इनमें से जो भी कम हो, से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(4) ग्रामसभा के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्रामसभा के अनूसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो।

129-ग. ग्राम सभा की शक्तियॉ और कृत्य --- किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियॉ तथा कृत्य भी होंगे, अर्थात् ---

(एक) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना;

(दो) **[***]**

(तीन) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य संसुगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना;

(चार) **[***]**

(पांच) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमे पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाए, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध मना;

(छह स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओ के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियत्रण रखना; और

(सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

129-घ. ग्राम पंचायत के कृत्य --- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन निम्नलिखित शक्तियों भी होगी, अर्थात् ---

(एक) **[***]**

(दो) ग्राम के बाजारो तथा मेली का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाए, प्रबंध करना;

(तीन) से (छः) **[***]**

(सात) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप- योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययो पर नियत्रण रखना; और

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे श्तों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त मे ।

129 -ङ. स्थानों का आरक्षण --- (1) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा:

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्री में सभी स्तरों पर पंचायत के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेगे:

[1][परन्तु यह भी कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में की ग्राम पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है अनुसूचित जनजातियों के पंचो या सरपचों के लिये आरक्षित यथास्थिति स्थानों या पदो के आवंटन से विहित रीति मे अपवर्जित कर दिया जाएगा।]

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(2) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत मे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है:

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत मे निर्वाचित किये जानेवाले कर सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रो मे पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के कर, आरक्षित स्थानों के साथ मिलाकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन-चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होगें।

129 -च. जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियां --- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात् ---

(एक) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लधु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अन्तरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना;

(तीन) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएँ सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे ।

MAP IT (MP Code)

अध्याय 15

निरसन

www.codemp.gov.in

130. निरसन तथा व्यावृत्ति --- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को तथा तारीख से, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्रमांक 13 सन् 1990) जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है निरस्त हो जाएगा:

परन्तु निरसन का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा : -

(क) निरसित अधिनियम के पूर्व कार्यान्वयन या उसके अधीन सम्यक रूपेण की गयी या भोगी गयी कोई भी बात; या

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) निरसित अधिनियम के विम्द किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, ऐसी बाध्यता, ऐसे दायित्व, ऐसी शास्ति, ऐसे समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम प्रवर्तित ही न हुआ हो:

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, निरसित अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवही (जिसमें की गई कोई नियुक्ति या किया गया प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, सूचना, आदेश, अनुदेश या निदेश, विरचित कोई नियम, विनियम, उपविधि, प्ररूप या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाण-पत्र, दी गई अनुशा या अनुज्ञप्ति, किया गया रजिस्ट्रीकरण, अधिरोपित कर या उद्गृहीत फीस या रेट सम्मिलित हैं) जहां तक कि वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पर्व प्रवृत्त है इस अधिनियम के उपबंधो से असगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा या की गई समझी जाएगी और तद्नुसार प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि बम इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किसी कार्यवाही द्वारा अधिष्ठित न कर दी जाए।

(2) निरसित अधिनियम की धारा 127 के अधीन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद् के लिये विद्यमान व्यवस्था तय तक जारी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जैसी भी दशा हो, गठित न कर दी जाए ।

(3) कलेक्टर विद्यमान ग्राम पंचायत की आस्तियों तथा दायित्वो का प्रभाजन इस अधिनियम के अधीन गठित उसकी तत्स्थानी ग्राम पंचायत के बीच ऐसे मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुसार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये बाए।

(4) विद्यमान जनपद पंचायत तथा जिला परिपद की आस्तियां तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन गठित क्रमश: जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत को अंतरित हो जाएगे ।

व्यावृत्ति ---- मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 के उपबंध अधिसूचित क्षेत्र को लागू नहीं होगे जहां तक कि वे अधिनियम के अध्याय 14-क के उपबधों और पंचायत-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का सख्यांक 40) के उपबंधों से असंगत हों ।

131. विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यावृत्तियाँ --- इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम या उपविधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के समस्त स्थायी
अधिकारियों तथा सेवकों या अन्य र्क्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, पेशन तथा सेवानिवृत्ति फायदे जो उस तारीख को हैं जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, विद्यमान वेतन और भत्ते, पेशन तथा सेवानिवृत्ति फायदे होंगे।

132. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति --- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, उसके उपबंधों से असंगत न होने वाली कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रतीत होती है:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो चुकने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा पटल पर रखा जाएगा ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अनुसूची - 1

[{धारा 77 की उपधारा (1) देखिये]

क- ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य कर

(1) से (4), [***]

(5) उन व्यक्तियों पर बाजार फीस जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान या उसमें के किसी भवन या सरंचना में विक्रय के लिये माल रखते हैं ।

(6) ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या किसी स्थान में बेचे गये पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस।

(7) [***]

ख- जनपद पंचायतों द्वारा अधिरोपित किया जाने वाला कर

नाट्य गृहों या नाट्य प्रदर्शनों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शनों पर कर ।

अनुसूची - 1 -क

[धारा 77 -क (1) देखिये]

ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य कर

MAP IT (MP Code)
www.codemp.gov.in

(1) निम्नलिखित से भिन्न भूमियों या भवनों या दोनों पर, जिनका पूँजी मूल्य भूमि के मूल्य को सम्मिलित करते हुए, छह हजार रुपये से अधिक हो, संपत्ति कर ---

(क) संघ या राज्य सरकार, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्वामित्व के या उसमें निहित भवन तथा भूमियाँ;

(ख) अनन्यरूपेण धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवन तथा भूमियाँ या उनका कोई भाग, जिनके अन्तर्गत बोर्डिंग हाऊस भी हैं ।

(2) निजी संडासों पर कर, जो उन भवनों के जिनसे ऐसे संडास संलग्न हैं, भवन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा उस दशा में देय होगा, जबकि उनकी सफाई ग्राम सभा अभिकरण द्वारा की जाती है ।

(3) प्रकाश-कर, यदि ग्राम सभा द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है ।

(4) ग्राम सभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर कर ।

अनुसूची - 2

[धारा 77 की उपधारा (2) देखिये]

क- ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर, फीस आदि

(1) से (2) **[***]**

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर चलाई जाने के उपयोग में आने वाली बैलगाड़ियों, साइकिलों, रिक्शो पर कर।

(4) **[***]**

(5) जल कर (रेट) जहां ग्राम पंचायत द्वारा नियमित जल-प्रदाय की व्यवस्था की जाती है ।

(6) जल निकास के लिये फीस, जहॉ जल निकास पद्धति ग्राम पंचायत द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।

(7) **[***]**

(8) मोटरयानों से भिन्न यानों के स्वामियों द्वारा देय फीस, जहां मोटरयानों से भिन्न ऐसे यान ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते हैं ।

(9) से (14) **[***]**

ख- जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर

जनपद पंचायत द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिये जनपद पंचायत में निहित या उसके द्वारा अनुरक्षित भूमियों या अन्य सम्पत्तियों के उपयोग या उनके अधिभोग के लिये फीस।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अनुसूची - 2 - क्र

[धारा 77 -क (2) देखिये]

ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर, फीस आदि

(1) अनुसूची 1 -क की मद 1 के अन्तर्गत न आने वाले भवन पर कर ।

(2) सवारी करने, चलाने, खीचने या बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाए जाने बाले पशुओं पर या कुत्तों या सुअरों पर कर जो उनके स्वामियों द्वारा देय होगा ।

(3) सरायों, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, वधशालाओं तथा पड़ाव स्थलों के उपयोग के लिए फीस ।

(4) जल दर (रेट) जहां ग्राम सभा द्वारा नियमित जल प्रदाय की व्यवस्था की जाती है ।

(5) मण्डी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश कृपि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अर्थ के अन्तर्गत क्रेता, अभिकर्ता, आढ़तिया, तुलैया या मापक की वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर।

(6) लोकोषयोगिता के विशेष संकर्मों पर अस्थाई कर।

(7) सार्वजनिक संडासो के निर्माण या अनुरक्षण के लिए कर तथा कूडा कचरा हटाने और उसके व्ययन के लिए सामान्य सफाई कर।

(8) बैलगाड़ी स्टैण्ड तथा तांगा स्टैण्ड के लिये फीस।

(9) किसी सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई सरचना या उसके आगे निकले हुए किसी भाग के लिए या उस पर अस्थाई रूप से अधिभोग रखने के लिए फीस ।

(10) ग्राम सभा में निहित चारागाहों पर पशुओं को चराने के लिए फीस ।

(11) कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने के लिए राज्य विधान मण्डल को भारत के संविधान के अधीन शक्ति प्राप्त है ।]

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अनुसूची - 3
[धारा 80 देखिये]

ग्राम पंचायतों द्वारा फीस संग्रहण कार्य का ठेके पर दिया जाना

(1) उन व्यक्तियों पर फीस जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में विक्रय के लिये माल रखते हों या उसमें के किसी भवन या संरचना के उपयोग के लिये फीस ।

(2) ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में बेचे गये पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस ।

(3) सरायों, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, वधशालाओं तथा पड़ाव स्थलों के उपयोग के लिये फीस ।

(4) बैलगाड़ी स्टैण्ड या तांगा स्टैण्ड के लिये फीस ।

(5) ग्राम पंचायत में निहित चरागाहों पर पशुओं को चराने के लिये फीस ।

(6) जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित कोई अन्य फीस ।

अनुसूची - 4
[धारा 53 की उपधारा (1) देखिये]

(1) कृषि, कृषि विस्तार समिति करते हुए ।
(2) भूमि सुधार कर भूमि संरक्षण ।
(3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास ।
(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन ।
(5) मत्स्यपालन ।
(6) सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी ।
(7) लघु वन उपज ।
(8) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग ।
(9) खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग ।
(10) ग्रामीण आवास ।
(11) पेयजल ।
(12) ईधन तथा चारा ।
(13) सड़क पुलिया, पुल, पारघाट (फैरिज) जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन ।
(14) विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीक्तण ।
(15) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत ।
(16) गरीबी- उन्मूलन योजना ।
(17) प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा ।
(18) तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा।
(19) प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा।
(20) पुस्तकालय।
(21) सांस्कृतिक क्रिया कलाप।
(22) बाजार तथा मेले।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(23) अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तथा औषधालयों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता।

(24) परिवार कल्याण।

(25) महिला एवं बाल विकास।

(26) विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण।

(27) कमजोर वर्गो का क्माण विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का।

(28) लोक वितरण पद्धति।

(29) सामुदायिक आस्तियों का संधारण।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003

No. 8 of 2003*

[Received the assent of the Governor on the 22nd April, 2003; assent first published in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 29-4-2003.]

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Amendment of Section 28.—In sub-section (4) of Section 28 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "the Commissioner", the words "Director, Panchayat" shall be substituted.

3. Amendment of Section 36.—In Section 36 of the Principal Act, in sub-section (3) and (4) for the words "the Commissioner", the words "Director, Panchayat" shall be substituted.

4. Amendment of Section 122.— In clause (iii) of sub-section (1) of Section 122 of the Principal Act, for the words "the Divisional Commissioner", the words "Director, Panchayat" shall be substituted.

CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2004

No. 9 of 2004*

CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 6.
3. Amendment of Section 36.
4. Amendment in Section 39.
5. Amendment in Section 46.

Sections :

6. Amendment of Section 49.
7. Amendment of Section 55.
8. Amendment of Section 65.
9. Amendment of Section 88.

[Received the assent of the Governor on the 30th July, 2004; assent first published in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 3-8-2004.]

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004.

(2) It shall extend to the whole of Chhattisgarh State.

(3) It shall come into force on such date as the State Government, by notification, appoint.

2. Amendment of Section 6.—(1) In sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act) the following shall be inserted :—

"(1-A) The meetings of the Gram Sabha shall be organised in each village of the Gram Panchayat.

(2) In clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Principal Act, the following shall be added :—

"The Sarpanch & Panch shall be responsible for the quorum of the meetings of the Gram Sabha for their constituencies as the case may be".

(3) In clause (b) of sub-section (2) of Section 6, after proviso, the following proviso shall be added :—

"Provided further that the resolutions for the Annual working plan, selection of beneficiaries, Annual budget, Audit report and Annual accounts and administrative report, shall be passed in the meeting which has requisite quorum.".

(4) In sub-section (3) of Section 6 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted :—

"In case of absence of quorum in three consecutive meetings of the Gram Sabha, notice shall be served on the Panch/Sarpanch and two more opportunities shall be provided to him to fulfill quorum in the next two meetings of the Gram Sabha. In case of failure to do so, proceedings shall be initiated for removal of the office bearer.".

3. Amendment of Section 36.—After clause (m) of sub-section (1) of Section 36 of the Principal Act, the following clauses shall be inserted :—

"(n) who are not literate :

Provided that this condition shall not be applicable to the person who has exceeded the age of 30 years;

(o) even after 1 year of being elected, does not have pour flush latrine in his residential premise;

(p) has not paid all the dues, which are recoverable by Panchayat against any type of outstanding dues of on account of advance or any other account even after giving demand notice which of not less than 30 days, and has not filed with nomination paper, the declaration of such intention that no money is due to be paid by him on any account payable to the Panchayat.

(q) has encroached upon any land and buildings of Panchayat or Government.".

4. Amendment in Section 39.—In sub-section (1) of Section 39 of the Principal Act, after clause (a) the following clause (b) shall be inserted :—

"(b) on whom, show cause notice along with charge sheet under this Act, has been served for removal from office.".

5. Amendment in Section 46.—In Section 46 of the Principal Act,—

(1) In sub-section (1) for the word "three", the word "five" shall be substituted;

(2) After sub-section (2) of Section 46 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted :—

"Provided that any committee may co-opt not more than two such members who have the necessary experience or special knowledge of the subject assigned to that committee. The member co-opted as such shall not have the power to vote in the proceedings of the committee :

Provided that, the Gram Panchayat, may invite Government officers or subject matter specialists to advice it on any subject under its consideration.".

6. Amendment of Section 49.—(1) After clause (b) of serial no. (25) of Section 49 of the Principal Act, the following clause shall be inserted :—

"(25-c) the free food grains shall be provided to the needy persons out of the grant made available for basic services.

(2) After the serial no. (29) of Section 49 of the Principal Act, the following serial number shall be inserted :—

"(30) the establishment, maintenance and supervision of fair price shops under public distribution system.".

7. Amendment of Section 55.—In sub-section (1) of Section 55 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted :—

"(1-A) After 1 January, 2005, permission of construction/reconstruction/ repairing of any building, shall not be granted by the Gram Panchayat unless it has provision of pour flush latrine.".

8. Amendment of Section 65.—In sub-section (1) of Section 65 of the Principal Act, for the words "Three years", the words "Five years" shall be substituted.

9. Amendment of Section 88.—In Section 88 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted :—

"Provided that the Collector may cause an enquiry into the activities of any Gram Panchayat conducted by any officer not below Class II.".

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2008—ज्येष्ठ 2, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक 5099/डी.141/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-05-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.

(2) इसका सम्पूर्ण विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 13 का संशोधन.

2\. (1) छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 13 की उपधारा (4) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाय :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाय :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

धारा 17 का संशोधन.

3\. (1) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(3) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक में शब्द "परंतु" के पश्चात् शब्द "यह और कि" अंत:स्थापित किया जाए.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 23 का संशोधन.

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 25 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 30 का संशोधन.

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के प्रथम परंतुक में शब्द "परंतु" के पश्चात्, "यह और कि" अंतःस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (5) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(5) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

धारा 32 का संशोधन. 7. (1) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."

धारा 36 का संशोधन. 8. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) तथा खण्ड (ड) का लोप किया जाय.

धारा 61-क का संशोधन. 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 61-क के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परंतु, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 के अंतर्गत अधिसूचित नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में, इस अध्याय के प्रावधान लागू नहीं होंगे."

धारा 65 का संशोधन. 10. (1) मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "सात वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक 5099/डी. 141/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2008)

CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-ninth year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extend and Commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sansodhan) Adhiniyam, 2008.

(2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of section 13.

(1) After clause (ii) of sub-section (4) of section 13 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam) the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

(2) In sub-section (5) of section 13 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(3) In sub-section (6) of section 13 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(4) After sub-section (6) of section 13 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

Amendment of section 17.

(1) In sub-section (3) of section 17 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(2) After sub-section (4) of section 17 of the Principal Adhiniyam the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

(3) After the word "Provided" in the first proviso to sub-section (4) of section 17 of the Principal Adhiniyam the word "further" shall be inserted.

Amendment of section 23.

(1) After clause (ii) of sub-section (3) of section 23 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

(2) In sub-section (4) of section 23 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(3) In sub-section (5) of section 23 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(4) After sub-section (5) of section 23 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

Amendment of section 25.

5\. (1) In clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(2) After clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

Amendment of section 30. 6. (1) After clause (ii) of sub-section (3) of section 30 of the Principal Adhiniya the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections panchayat shall constitute one rotation."

(2) After the word "provoded" in the first proviso to clause (ii) of sub-section (of section 30 of the Principal Adhiniyam, the word "further" shall inserted.

(3) In sub-section (4) of section 30 of the Principal Adhiniyam, for the wor "one third" the word "half" shall be substituted.

(4) In sub-section (5) of section 30 of the Principal Adhiniyam, for the wor "one third" the word "half" shall be substituted.

(5) After sub-section (5) of section 30 of the Principal Adhiniyam, the followi shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections panchayat shall constitute one rotation."

Amendment of section 32. 7. (1) In clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the Principal Adhiniyam, the words "one third" the word "half" shall be substituted.

(2) After sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 32 of Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections panchayat shall constitute one rotation."

Amendment of section 36. 8. (1) Clause-s (h) and (m) of sub-section (1) of section 36 of the Princi Adhiniyam shall be omitted.

Amendment of section 61-A. 9. (1) After section 61-A of the Principal Adhiniyam, the following proviso sl be inserted, namely :—

"Provided that provisions of this Chapter shall not apply to the a falling under the jurisdiction of Naya Raipur Development Autho notified under section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Niv Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973)."

Amendment of section 65. 10. (1) In sub-section (1) of section 65 of the Principal Adhiniyam, for the wo "five years" the words "seven years" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015— माघ 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्रमांक 850/डी. 17/21-अ/प्रारू./छ. ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-01-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (तेरह) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(तेरह-क) "एक चक्रानुक्रम" से अभिप्रेत है निरंतर दो आम चुनाव, किन्तु जब कभी भी परिसीमन, नवीनतम जनगणना या अन्यथा के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे परिसीमन के प्रकाशन के बाद आयोजित चुनाव को प्रथम चुनाव के रूप में माना जायेगा."

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 1 सन् 2014) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्रमांक 850/डी. 17/21-अ/प्रारू./छ. ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2015)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (xiii) of Section 2 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the following shall be inserted, namely:-

"(xiii-a) "One rotation" means two consecutive general elections, but whenever delimitation is done on the basis of latest census or otherwise then the election conducted subsequent to the publication of such delimitation shall be treated as the first election."

Repeal.

3. The Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (No. 1 of 2014) is hereby, repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 अप्रैल 2015— वैशाख 3, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्रमांक 3673/डी. 139/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 20-04-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 66 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 66 की उप-धारा (4) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(एक) ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच तथा सचिव या किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, के संयुक्त हस्ताक्षर से;"

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्रमांक 3673/डी. 139/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-04-15 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 15 of 2015)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause (i) of sub-section (4) of Section 66 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 66.**

"(i) the joint signature of sarpanch and secretary or any other officer/employee, who has been authorized by the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, in case of a Gram Panchayat;"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 — चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-141/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 36 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) एवं (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्,-

"(ढ) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से,-

(एक) पंच पद के लिये, 5वीं परीक्षा; और

(दो) पंच के ऊपर के पदधारी के लिये, 8वीं या समकक्ष परीक्षा,

उत्तीर्ण न हो :

परंतु यह प्रावधान इस संशोधन के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्वाचित पदधारियों के विषय में लागू नहीं होगा.

(ण) जिसके निवास परिसर में, जलवाहित शौचालय न हो."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) में संशोधन करने का विनिश्चय किया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 5 मार्च, 2016

अजय चंद्राकर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ) एवं (ण) का सुसंगत उद्धरण

(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा-

"(ढ) जो साक्षर नहीं है :

परंतु यह शर्त तीस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिये लागू नहीं होगी.

(ण) जिसके निवास परिसर में, निर्वाचित हो जाने के एक वर्ष बाद भी जलवाहित शौचालय न हो."

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मई 2016 — वैशाख 17, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक 4564/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 36 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) एवं (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्,-

"(ढ) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से,-

(एक) पंच पद के लिये, 5वीं परीक्षा; और

(दो) पंच के ऊपर के पदधारी के लिये, 8वीं या समकक्ष परीक्षा,

उत्तीर्ण न हो :

परंतु यह प्रावधान इस संशोधन के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्वाचित पदधारियों के विषय में लागू नहीं होगा.

(ण) जिसके निवास परिसर में, जलवाहित शौचालय न हो."

रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक 4564/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 of 2016)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 36.

2. For clause (n) and (o) of sub-section (1) of Section 36 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the following shall be substituted , namely :-

"(n) has not passed,-

(i) 5th Standard Examination for the post of Panch; and

(ii) 8th Standard or equivalent Examination for office bearer above Panch,

from any recognized Institution or Board :

Provided that this provision shall not be applicable in the matter of office bearers elected before enforcement of this amendment.

(o) Whose Residential Premise does not have flush latrine."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल 2017— वैशाख 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्रमांक 3769/डी. 85/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 66क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 66 में, उप-धारा (4) में,-

(क) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) जनपद पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी, उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से,"

(ख) खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(तीन) जिला पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से,"

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्रमांक 3769/डी. 85/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-4-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2017)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 66 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), in sub-section (4), - **Amendment of Section 66.**

(a) clause (ii) shall be substituted by the following, namely :-

"(ii) in case of Janpad Panchayat, the joint signature of Chief Executive Officer and Assistant Accounts Officer, in his absence, any Officer authorized by the Collector;"

(b) After clause (ii), the following shall be added, namely :-

"(iii) in case of Zila Panchayat, the joint signature of Chief Executive Officer and Senior Accounts Officer/Accounts Officer;"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 12, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्रमांक 8941/डी. 158/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (तेरह-क) का लोप किया जाये.

धारा 13 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(1) उप-धारा (4) के खण्ड (दो) के परन्तुक का लोप किया जाये; तथा

(2) उप-धारा (6) के परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 17 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(1) उप-धारा (4) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये; तथा

(2) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाये.

धारा 23 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 23 में,-

(1) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के परन्तुक का लोप किया जाये; तथा

(2) उप-धारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 25 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 30 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(1) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये;

(2) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाये; तथा

(3) उप-धारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाये.

धारा 32 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्रमांक 8941/डी. 158/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-9-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2019)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

1. **Short title, extent and commencement.**
   (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.
   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Section 2.** In Section 2 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam), clause (xiii-a) shall be omitted.

3. **Amendment of Section 13.** In Section 13of the Principal Adhiniyam,-
   (1) the proviso of clause (ii) of sub-section (4) shall be omitted; and
   (2) the proviso of sub-section (6) shall be omitted.

4. **Amendment of Section 17.** In Section 17of the Principal Adhiniyam,-
   (1) the first proviso of sub-section (4) shall be omitted; and
   (2) in second proviso of sub-section (4), the word "further" shall be omitted.

5. **Amendment of Section 23.** In Section 23 of the Principal Adhiniyam,-
   (1) the proviso of clause (ii) of sub-section (3) shall be omitted; and
   (2) the proviso of sub-section (5) shall be omitted.

6. **Amendment of Section 25.** In sub-section (2) of Section 25 of the principal Adhiniyam, the first proviso shall be omitted.

Amendment of Section 30.

7. In Section 30 of the Principal Adhiniyam,-

(1) the first proviso of clause (ii) of sub-section (3) shall be omitted;

(2) in second proviso of clause (ii) of sub-section (3), the word "further" shall be omitted; and

(3) the proviso of sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of Section 32.

8. In sub-section (2) of Section 32 of the principal Adhiniyam, the first proviso shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 856] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2019 — पौष 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13128/डी. 231/21–अ/प्रारू./छ.ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18–12–2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 20 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 2 में, खण्ड (तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(इकतीस) "निःशक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति;"

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, धारा–13 में, उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र एक निःशक्त व्यक्ति को विहित रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो दो वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगी। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/ कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 22 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 22 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो निःशक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरुष) को विहित रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 29 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम में, धारा 29 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो निःशक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरुष) को विहित रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।"

6. मूल अधिनियम में, धारा 36 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— धारा 36 का संशोधन.

"(ढ) जो साक्षर नहीं है;"

7. मूल अधिनियम में, धारा 44 में, धारा 44 का संशोधन.

(एक) उप–धारा (2) में, शब्द "अधिकार होगा" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु नामांकित निःशक्त व्यक्ति का पंचायत के सम्मिलन/कार्यवाहियों में भाग लेने के संबंध में अधिकार ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

8. मूल अधिनियम में, धारा 46 में, उप–धारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— धारा 46 का संशोधन.

"परन्तु यह और कि नामांकित निःशक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए।"

9. मूल अधिनियम में, धारा 47 में, उप–धारा (4) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— धारा 47 का संशोधन.

"परन्तु यह और कि नामांकित निःशक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए।"

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13128/डी. 231/21–अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–12–2019 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2019)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019.

A Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), (hereinafter as the Principal Act), in Section 2, after clause (xxx), the following shall be added, namely:-

"(xxxi) "Person with disability" means a persons with disability as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016);"

Amendment of Section 13.

3. In the Principal Act, in Section 13, after sub-section (1), the following shall be substituted, namely :-

"Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the State Government or any authority authorized by it shall nominate one person with disability as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 2 years. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."

Amendment of Section 22.

4. In the Principal Act, in Section 22, in sub-section (1), after clause (i), the following shall be added, namely:-

"Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the state government or any authority authorized by it shall nominate two persons with disability (one male and one female) as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 1 year. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."

Amendment of Section 29.

5. In the Principal Act, in Section 29, in sub-section (1), after clause (i), the following shall be added, namely:-

"Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the state government or any authority authorized by it shall nominate two persons with disability (one male and one female) as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 1 year. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."

Amendment of Section 36.

6. In the Principal Act, in Section 36, in sub-section (1), for clause (n), the following shall be substituted, namely :-

"(n) who are not literate;"

7. In the Principal Act, in Section 44,- **Amendment of Section 44.**

(i) in sub-section (2), after the words "meeting of the Panchayats", for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(ii) after sub-section (2), the following shall be added, namely:-

"Provided that rights related to participation in meeting/proceedings of the Panchayat of nominated persons with disability shall be, as may be prescribed, but they shall not have right to vote."

8. In the Principal Act, in Section 46, in sub-section (2), after the second proviso, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 46.**

"Provided further that nominated persons with disability shall be member of such Committees, as may be prescribed."

9. In the Principal Act, in Section 47, in sub-section (4), after the second proviso, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 47.**

"Provided further that nominated persons with disability shall be member of such Committees, as may be prescribed."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025 —— चैत्र 21, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2025

क्रमांक 3261/डी. 58/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 07-04-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन।

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में, (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 2 के खण्ड (उन्नीस) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है, ऐसी जनसंख्या के आंकड़े, जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया हो;"

धारा 13 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(दो) किसी ग्राम पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गए हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में, चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किये जाएंगे :

परन्तु, किसी ग्राम पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित किये

गये हैं, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा 17 का संशोधन।

"(दो) खण्ड में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कुल पदों के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पश्चात् शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग, के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे:

परन्तु, खण्ड में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।"

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (3) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा 23 का संशोधन।

"(दो) किसी जनपद पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग, के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में, चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किये जाएंगे:

परन्तु, किसी जनपद पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।"

धारा 25 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(दो) जिले में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से जिले के भीतर जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के कुल पदों में से पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पश्चात् शेष पद अन्य पिछड़ा वर्ग, के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगेः

परन्तु, जिले में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।"

धारा 30 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (3) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(दो) किसी जिला पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों, के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग, के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में, चक्रानुक्रम से कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगेः

परन्तु, किसी जिला पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।"

धारा 32 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(दो) यदि राज्य में अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों, के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए गए हों, तो यथासंभव निकटतम रूप से राज्य के भीतर जिला पंचायतों के अध्यक्षों के कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे:

परन्तु, यदि राज्य में, अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित हों, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।"

9.	मूल अधिनियम की धारा 129–ङ की उप–धारा (3) का लोप किया जाये।	धारा 129–ङ. का संशोधन।
10	छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2025 (क्र. 1 सन् 2025) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।	निरसन

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2025

क्रमांक 3261/डी. 58/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2025)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (xix) of Section 2, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that population of Other Backward Class means, such figures of population, which have been determined in the prescribed manner;"

Amendment of Section 13.

3. For clause (ii) of sub-section (4) of Section 13 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) In any Gram Panchayat where less than Fifty percent seats have been reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes,

then remained seats as nearly as possible shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population but subject to the maximum limit of Fifty percent of the total seats and such seats shall be allotted by rotation to different wards in that Gram Panchayat by the Collector, in the prescribed manner:

Provided that in any Gram Panchayat where fifty percent or more than fifty percent of the seats have been reserved for the Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, no seat shall be reserved for the Other Backward Classes."

Amendment of Section 17.

4. For clause (ii) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Where the population of Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes in the Block is less than Fifty percent, then after providing reservation to Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, remained seats as nearly as possible of Sarpanchas of Gram Panchayats within the Block shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population but subject to the maximum limit of Fifty percent of the total seats:

Provided that in the Block where the population of the Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes is fifty percent or more than fifty percent, no seats shall be reserved for the Other Backward Classes."

Amendment of Section 23.

5. For clause (ii) of sub-section (3) of Section 23 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) In the Janpad Panchayat where less than Fifty percent seats have been reserved for Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, then remained seats as nearly as possible shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population but subject to the maximum limit of Fifty percent of the total seats and such seats shall be allotted by rotation to different constituencies by the Collector, in the prescribed manner:

Provided that in any Janpad Panchayat where fifty percent or more than fifty percent of the seats have been reserved for the Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, no seat shall be reserved for the Other Backward Classes."

Amendment of Section 25.

6. For clause (ii) of sub-section (2) of Section 25 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Where the population of Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes in the District is less than Fifty percent, then after providing reservation to Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes remained seats as nearly as possible of President of Janpad Panchayats within the district shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population but subject to the maximum limit of Fifty percent of the total seats:

Provided that in a district where the population of the Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes is fifty percent or more than fifty percent, no seat shall be reserved for the Other Backward Classes."

Amendment of Section 30.

7. For clause (ii) of sub-section (3) of Section 30 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) In any Zila Panchayat where less than Fifty percent seats have been reserved for Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, then remained seats as nearly as possible shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population but subject to the maximum limit of Fifty percent of the total seats and such seats shall be allotted by rotation to different constituencies by the Collector, in the prescribed manner:

Provided that in any Zila Panchayat where fifty percent or more than fifty percent of the seats have been reserved for the Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, no seat shall be reserved for the Other Backward Classes."

Amendment of Section 32. 8. For clause (ii) of sub-section (2) of Section 32 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) If less than Fifty percent seats in the State have been reserved for Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, then remained seats of President of Zila Panchayats within the State, as nearly as possible shall be reserved for Other Backward Classes, proportionate to their population but subject to the maximum limit of Fifty percent of the total seats:

Provided that in the State, if fifty percent or more than fifty percent of the seats have been reserved for the Scheduled Castes and/or the Scheduled Tribes, no seat shall be reserved for the Other Backward Classes."

Amendment of Section 129-E. 9. Sub-section (3) of Section 129-E of the Principal Act shall be omitted.

Repeal. 10. The Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Second Adhyadesh, 2025 (No. 1 of 2025) is hereby, repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.